दिनांक 08.09.2022 को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की आहूत "कार्य परिषद्" की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की कार्यपरिषद की 12 वीं बैठक दिनांक 08–09–2022 को अपरान्ह 12:30 बजे विश्वविद्यालय के सभागार कक्ष में प्रो0 ओंकार सिंह, माननीय कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद्, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में कार्य परिषद् के निम्न माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया:–

1. डॉ0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.विश्वविद्यालय, देहरादून — अध्यक्ष
2. श्री रवि कुमार, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की। (नामित प्रतिनिधि) — सदस्य
3. डॉ0 अलकनन्दा अशोक, जी. बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (नामित प्रतिनिधि) — सदस्य
4. श्रीमती नमामी बसंल, अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, (नामित प्रतिनिधि) — सदस्य
5. श्री एम0एम0 सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, (नामित प्रतिनिधि) — सदस्य
6. श्री आर0के0 श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, (नामित प्रतिनिधि) — सदस्य
7. श्री अरविन्द सिंह पांगती, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन(नामित प्रतिनिधि) — सदस्य
8. श्री हरीश सिंह बिष्ट, अनुसचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।(नामित प्रतिनिधि) — सदस्य
9. श्री विक्रम सिंह जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ. विश्वविद्यालय,देहरादून — आमंत्रित सदस्य
10. श्री प्रवीन कुमार अरोड़ा, परीक्षा नियंत्रक, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ. विश्वविद्यालय,देहरादून — आमंत्रित सदस्य
11. डॉ0 मनोज कुमार पॉडा, शोध समन्वयक, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ. विश्वविद्यालय, देहरादून — आमंत्रित सदस्य
12. श्री आर0पी0 गुप्ता, कुलसचिव, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ. विश्वविद्यालय, देहरादून — पदेन सचिव

बैठक का शुभारंभ करते हुए मा0 कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया तथा विश्वविद्यालय के उत्थान में समस्त सम्भानित सदस्यों के सकिय सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। मा0 कुलपति महोदय के उद्बोधन के बाद बैठक की कार्यवाही विश्वविद्यालय के कुलसचिव/पदेन सचिव श्री आर0पी0 गुप्ता द्वारा प्रारम्भ की गयी, जिसमें निम्न निर्णय लिए गयेः–

एजेण्डा बिन्दु : 12–01

(क)

राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 1339(1)/जी0एस0 (शिक्षा)/C4-3(III)/2019, दिनांकः 12 जुलाई, 2021 एवं शुद्धि–आदेश संख्या 1351(1)/जी0एस0(शिक्षा)/C4-3(III)/2019, दिनांकः 13 जुलाई, 2022 द्वारा डॉ0 ओंकार सिंह, प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तर प्रदेश को, कुलपति वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून नियुक्त किया गया है, उक्त के कम में कुलपति द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न में विश्वविद्यालय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया।माननीय सदस्यों के समक्ष अवगतनार्थ प्रस्तुत।

(ख)

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की सम्पन्न हुई "कार्य परिषद्" की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

(ग)

कार्य परिषद् की दिनांक 05 मई 2022 को सम्पन्न हुई 11 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय :–

(क) बैठक में मा0 सदस्यों को नव नियुक्त माननीय कुलपति डॉ0 ओंकार सिंह द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न में विश्वविद्यालय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना से अवगत कराया गया।

(ख) विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 11 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया। **(संलग्नक–01)**

(ग) कार्य परिषद् की दिनांक 05 मई 2022 को सम्पन्न हुई 11 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही पर माननीय सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु सं0–12.02

(अ) विश्वविद्यालय की 12वीं विद्या परिषद के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय की 12 वीं विद्या परिषद की बैठक दिनांक 02–09–2022 संपन्न हुई। कार्य परिषद के समक्ष बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **(संलग्नक–02)**

विनिश्चय :– विश्वविद्यालय की दिनांक 02–09–2022 को संपन्न हुई विद्या परिषद की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ब) विश्वविद्यालय की 19 वीं वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

प्रस्ताव– विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 08–09–2022 को सम्पन्न हुई जिसमें लिए गये निर्णयों का कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत, निर्णयों के अनुरूप 19वीं वित्त समिति के बैठक के जारी होने वाले कार्यवृत्त का अग्रिम अनुमोदन।

विनिश्चय :– विश्वविद्यालय की दिनांक 08–09–2022 को संपन्न वित्त समिति की 19 वीं बैठक के निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 19वीं वित्त समिति की निर्णयों के अनुरूप कार्यवृत्त का अग्रिम अनुमोदन दिया गया।

बिन्दु सं0–12.03

विश्वविद्यालय में नवीन विधि पाठयक्रम संचालित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन प्रस्ताव एवं विश्वविद्यालय में तकनीकी पाठयक्रम से संबंधित पाठयक्रम BBA,BCA,B.Sc (IT) and B.Sc (CS) के संचालन किये जाने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय में पूर्व में BBA,BCA,B.Sc (IT) and B.Sc (CS) पाठ्यक्रम संचालित थे लेकिन उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 की धारा 2 (दो) के अनुसार खण्ड–(ण) को निरसित कर दिया गया था। 2013 के पूर्व 2010 में धारा 2 के खण्ड (ख) का प्रतिस्थापन तथा खण्ड–ढ के पश्चात खण्ड (ण) का निम्नानुसार अंतस्थापन किया गया है।

"व्यवसायिक शिक्षा का तात्पर्य बीएड, एम एड, पैरामेडिकल, मेडिकल, बीपीएड, विधि शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्र सरकार,

भारतीय आर्युविज्ञान परिषद, भारतीय दंत विज्ञान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिलिंग ऑफ इंण्डिया, दूरस्थ शिक्षा परिषद एवं व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित किसी अन्य नियामक परिषद के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करें।''

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 की धारा 2 (दो) के अनुसार खण्ड–(ण) को निरसित करने के कम में शासनदेश सं0 1129/XXIV(N)-242(6)13/2015 दिनांक 18.11.2015 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2015–16 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों में संचालित व्यवसायिक पाठ्यकमों को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित कर दिये गये थे।

व्यवसायिक पाठ्यकमों के अन्तर्गत कौन कौन पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे उसकी व्यवस्था धारा 2 (दो) के खण्ड ड में निर्धारित है। चूंकि BBA,BCA,B.Sc (IT) and B.Sc (CS) पाठ्यकमों हेतु कोई भी नियामक संस्था निर्धारित नहीं है। ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम माने जाते हैं। अतः उक्त पाठ्यक्रम व्यवसायिक पाठ्यक्रम की श्रेणी में नहीं हैं तद्नुसार 2013 में एक्ट में किये गये संशोधन की परिधि में नहीं आते हैं।

वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा एमबीए, एमसीए आदि पाठ्यकमों के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है जबकि बीसीए बीबीए, बीएससी (आईटी) एवं बीएससी (कम्प्यूटर साइंस) के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाती है। ये कोर्स श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, नई टिहरी से सम्बद्ध हैं। तकनीकी कोर्स होने के कारण संबंधित पाठ्यकमों का संचालन एवं सम्बद्धता वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा भी दिया जाना प्रस्तावित है।

विनिश्चय :– बैठक में BBA,BCA,B.Sc (IT) तथा B.Sc (CS) पाठ्यकमों हेतु कोई भी नियामक संस्था निर्धारित न होने के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम माने जाये व उक्त पाठ्यक्रम व्यवसायिक पाठ्यक्रम की श्रेणी में न होने, एवं 2013 में पारित एक्ट में किये गये संशोधन की परिधि में न आने के कारण विश्वविद्यालय को भी उपरोक्त पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए वांछित कार्यवाही नियमानुसार करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु सं0–12.04 ए–1

विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2018 में कतिपय संशोधन किये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय विनियमावली, 2018 के अध्याय–17 विनियमों में आवश्यक संशोधन 17.01 के अनुसार निम्न व्यवस्था प्राविधानित है:

राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रथम विनियमावाली में समय–समय पर यथा आवश्यकता संशोधन किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में निहित होगा

परन्तु विनियमावली के मूल ढांचे में परिवर्तन राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधन के द्वारा मूल ढांचे में परिर्वतन किया गया है या नहीं, इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अतः उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत विनियमावली, 2018 में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है:–

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य	विनिश्चय
1	**विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 6.07 बिन्दु–2** विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी एवं स्वः वित्त पोषित श्रेणी की होंगी, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद के निर्णय के अधीन होंगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अथवा अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं से निर्गत संबंधित दिशा–निर्देशों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।	**विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 6.07 बिन्दु–2** विश्वविद्यालय से संबंधित शासकीय सहायता प्राप्त, सम्बद्ध एवं विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों में स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 85 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी तथा अवशेष 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी। निजी स्व वित्त पोषित तकनीकी, फार्मेसी एवं विधि संस्थानों में उत्तराखण्ड स्टेट कोटा 50 प्रतिशत, अखिल भारतीय कोटा 35 प्रतिशत व मैनेजमैंट कोटा 15 प्रतिशत रहेगा, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद के निर्णय के अधीन होंगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अथवा अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं से निर्गत	सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 15.05.2009 के कार्यवृत्त में निम्न व्यवस्था दी गयी है :– बिन्दु–3 (3)''शासकीय सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में पूर्व की भाँति 85 प्रतिशत सीटे स्टेट कोटे से तथा 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे से भरे जाना निर्धारित किया गया है। बिन्दु–4''निजी स्ववित्त पोषित तकनीकी संस्थानों प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड स्टेट कोटा 50 प्रतिशत, अखिल भारतीय कोटा 35 प्रतिशत व मैनेजमैंट कोटा 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ही प्रत्येक वर्ष काउंसिलिंग बोर्ड के अनुमोदनोपरांत सीटों को भरा जाता है। दिनांक 29.07.2022 को सम्पन्न हुई काउंसिलिंग बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय विनियमावली की धारा 6.07 बिन्दु–2 में प्राविधानित व्यवस्था एवं पूर्व वर्षों में दिये गये प्रवेश की वास्तविक व्यवस्था में उत्पन्न विरोधाभास के संबंध में शासन को अवगत कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त कर लिये जाय। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय के द्वारा शासन को दिनांक 10.08.2022 को पत्र प्रेषित किया गया था लेकिन दिशा निर्देश	1. बैठक में सम्बन्धित प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त **विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 6.07 बिन्दु–2** को निम्नानुसार संशोधित करने हेतु अनुमोदन दिया गया:– **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय सहायता प्राप्त, विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान, सम्बद्ध सभी निजी एवं शासकीय संस्थानों तथा जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पन्त नगर में स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 75 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी तथा अवशेष 25 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी।** जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद के निर्णय के अधीन होंगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अथवा अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं से निर्गत संबंधित दिशा–निर्देशों

Agenda point 12.4 & concerning proposal to be put for state government's approval/clearance

		संबंधित दिशा–निर्देशों /व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।	अप्राप्त हैं। चूंकि विनियमावली में समस्त कार्यवाही कार्य परिषद के निर्णय के अधीन प्राविधानित है। अतः कार्य परिषद के समक्ष उक्तानुसार संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है। विभिन्न संस्थानों में प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड के छात्र–छात्राओं को ज्यादा अवसर प्राप्त हो उक्त कारण से भी उत्तराखण्ड के छात्रों हेतु 50 प्रतिशत के स्थान पर 85 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है।	/व्यवस्थाओं का पाल**न** **सुनिश्चित किया जायेगा।**
2	**वर्तमान व्यवस्था**	**प्रस्तावित संशोधन**	**औचित्य**	**विनिश्चय**
	विश्वविद्यालय, संस्थाओं के शैक्षिक वर्गों के लिए सीधी भर्ती हेतु विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 11. 02–2 एवं 11.12–2 में उक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार व्यवस्था हैः– **11.02–2** :– संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती पूणतः योग्यता पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम चयनोपरान्त पदत्त संस्तुति के आधार पर की जायेगी। **11.12–2** विश्वविद्यालय, संस्थाओं या उसके अध्यापकों के लिए चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) /विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC) के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों पर की जायेगी।	**विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 11. 02–2 एवं 11.12–2** **11.02–2** :– संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती पूर्णतः योग्यता पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा विभिन्न नियामक संस्थाओं के अनुसार गठित चयन समिति की प्रदत्त संस्तुति के आधार पर कार्य परिषद के द्वारा की जायेगी। **11.12–2** संस्थाओं या उसके अध्यापकों के लिए चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC)एवंअन्य संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा की जायेगी।	राज्य के विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वर्ग की नियुक्तियॉ विभिन्न संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर कार्य परिषद द्वारा गठित चयन समिति के द्वारी संस्तुति के उपरांत कार्य परिषद के द्वारा की जाती है न कि लोक सेवा आयोग की संस्तुति से। अतः प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय की तरह वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून में भी एक समान व्यवस्था लागू करने के क्रम में उक्तानुसार संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित है।	बैठक में माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाया गया कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वर्ग की नियुक्तियॉ विभिन्न संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर गठित चयन समिति के द्वारा संस्तुति के उपरांत कार्य परिषद के द्वारा की जाती है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रदेश में स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वर्ग की नियुक्तियों की प्रचलित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 11. 02–2 एवं 11.12–2 11.02–2 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया। चूकि विनियमावली में संबंधित परिवर्तन मूल ढॉचे के परिवर्तन की श्रेणी में आता है अतः समिति द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित संशोधनों को राज्य सरकार की नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन दिया

Agenda above 12.4.2 to be put up for state government's approval/clearance

				गया। संशोधन विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 11.02—2 संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती पूर्णतः योग्यता पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा विभिन्न नियामक संस्थाओं के अनुसार गठित चयन समिति की प्रदत्त संस्तुति के आधार पर कार्य परिषद के द्वारा की जायेगी। 11.12—2 विश्वविद्यालय, संस्थाओं या उसके अध्यापकों के लिए चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (UGC)एवं अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा।

3	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य	विनिश्चय
	शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु विनियमावली में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु 11.12--3--(3) में एक अतिरिक्त बिन्दु निम्नानुसार जोड़ा जाना प्रस्तावित है:--	**शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी भर्ती** विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए अर्हतायें/ योग्यतायें राज्य सरकार के नियमानुसार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग/अन्य राज्य सरकार की चयन ऐजेंसियों की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा की जायेंगी। सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा, आरक्षण समय --समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।	विनियावली में शिक्षणेत्तर पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए कोई व्यवस्था निर्धारित न होने के कारण विनियमावली में विश्वविद्यालय स्तर से राज्य सरकार की व्यवस्थानुसार नई धारा जोड़ी जानी प्रस्तावित है।	विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उच्च शिक्षा, के अन्तर्गत संचालित विश्वविद्यालयों व कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं का परीक्षण कर व्यवस्था निर्धारित करते हुए सुविचारित प्रस्ताव पुनः आगामी कार्य परिषद में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।
4	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य	विनिश्चय
	विनियमावली के अध्याय--2 धारा 2.02 कुलपति की नियुक्ति एवं अन्य शक्तियों में नई उपधारा **(xxviii)** जोड़ना	**2.02 (xxviii)** कुलपति को निशुल्क सुविधायुक्त आवास --सह कैंप कार्यालय उपलब्ध कराया जायेगा जिसका रखरखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।	राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति को निशुल्क सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है। विश्वविद्यालय की विनियमावली में उक्त व्यवस्था वर्णित नहीं है जिसके कारण समय--समय पर ऑडिट के समय ऑडिट आपत्ति लगायी जाती हैं। अतः अन्य विश्वविद्यालय की भाँति कुलपति को निशुल्क सुविधायुक्त आवास --सह कैंप आफिस उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके।	बैठक में कुलपति को निशुल्क सुविधायुक्त "आवास --सह कैंप कार्यालय" उपलब्ध कराये जाने तथा उक्त का रखरखाव विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने पर अनुमोदन देते हुए, विनियमावली के अध्याय--2 धारा 2.02 कुलपति की नियुक्ति एवं अन्य शक्तियों में नई उपधारा **(xxviii)** जोड़ना, संबंधित परिवर्तन मूल ढाँचे के परिवर्तन की श्रेणी में आने के कम में आता है अतः समिति द्वारा प्रस्तावित अध्याय--2 धारा 2.02 कुलपति की नियुक्ति एवं अन्य शक्तियों में नई उपधारा **(xxviii)** जोड़ने हेतु राज्य सरकार की नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया। **2.02 (xxviii)** **कुलपति को निशुल्क सुविधायुक्त आवास --सह कैंप कार्यालय उपलब्ध कराया जायेगा जिसका रखरखाव विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।**

As proposed

बिन्दु सं012.04 ए–1 वर्तमान सत्र में सरकारी संस्थानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के लिए 85 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय कोटा 15 प्रतिशत किये जाने एवं निजी संस्थानों हेतु उत्तराखण्ड स्टेट कोटा 50 प्रतिशत, अखिल भारतीय कोटा 35 प्रतिशत व मैनेजमैंट कोटा 15 प्रतिशत किये जाने हेतु :–

प्रस्ताव– सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 15.05.2009 के कार्यवृत्त में दी गयी व्यवस्था के कम में वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु काउसिलिंग बोर्ड की बैठक में लिए गये निर्णय कम में सरकारी संस्थानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के लिए 85 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय कोटा 15 प्रतिशत एवं निजी संस्थानों हेतु उत्तराखण्ड स्टेट कोटा 50 प्रतिशत, अखिल भारतीय कोटा 35 प्रतिशत व मैनेजमैंट कोटा 15 प्रतिशत के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही गतिमान है एवं तदनुसार शासन को भी अवगतनार्थ पत्र प्रेषित किया गया। तदनुसार कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय की विनियमावली की धारा 6.07 बिन्दु–2 के अनुसार राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद के निर्णय के अधीन होंगी। उक्त व्यवस्था के अनुसार वर्तमान सत्र में स्पॉट काउसिलिंग के माध्यम से राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरे जाने के अनुमोदनार्थ मा0 सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत।

विनिश्चय :– बैठक में सम्बन्धित बिन्दु पर वर्तमान शैक्षिक सत्र में पूर्व वर्षो की व्यवस्था के भांति ही वर्तमान सत्र में सरकारी संस्थानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के लिए 85 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय कोटा 15 प्रतिशत किये जाने एवं निजी संस्थानों हेतु उत्तराखण्ड स्टेट कोटा 50 प्रतिशत, अखिल भारतीय कोटा 35 प्रतिशत व मैनेजमैंट कोटा 15 प्रतिशत किये जाने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन तथा **राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे के अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**

बिन्दु सं0–12.04 बी–1:– विश्वविद्यालय की विनियमावली 2018 में परीक्षा नियंत्रक की योग्यता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त परीक्षा नियत्रंक की नियमित नियुक्ति न होने की दशा में उपरोक्त निर्धारित योग्यता के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर परीक्षा नियंत्रक को अधिकतम 03 वर्ष के लिए तैनात किये जाने का विनियमावली प्राविधान है।

बिन्दु सं0–12.04 बी–2 :– विनियमावली में परीक्षा नियंत्रक तथा रजिस्ट्रार/परीक्षा नियंत्रक के दो पद सृजित हैं जिस हेतु वेतनमान 15600–39100–6600 की व्यवस्था है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार तथा परीक्षा नियंत्रक के वेतनमान तथा योग्यतायें अलग–अलग निर्धारित हैं। दोनों पदों के वेतनमान अन्य विश्वविद्यालय एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी वेतनमान के अनुरूप नहीं हैं। अतः उक्त के कम में निम्नानुसार प्रस्तावित है।

प्रस्ताव – परीक्षा नियंत्रक एवं रजिस्ट्रार के पदों हेतु योग्तायें एवं वेतनमान के लिए एक समिति का निर्धारण किया जाय। समिति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यू.जी.सी., विभिन्न विश्वविद्यालयों में संबंधित पदों हेतु निर्धारित योग्यतायें एवं वेतनमान का तुलनात्मक विवरण करते हुए अपनी संस्तुति कार्य परिषद को प्रस्तुत करेगी।

Agenda point 12.04.ए-1 as brought before the notice of the committee to be taken up with due process & rules alongwith concurrence of state government

प्रस्तावित समिति :–

1. कुलपति – अध्यक्ष
2. अपर सचिव, वित्त – सदस्य
3. अपर सचिव, कार्मिक – सदस्य
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा– सदस्य
5. अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा – सदस्य सचिव

विनिश्चय :–बिन्दु संख्या–12.04बी–1 तथा 12.04बी–2 के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक एवं रजिस्ट्रार/परीक्षा नियंत्रक के पदों हेतु योग्तायें एवं वेतनमान एवं प्रतिनियुक्ति की शर्तें निर्धारण के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, यू.जी.सी., विभिन्न विश्वविद्यालयों में संबंधित पदों हेतु निर्धारित योग्यतायें एवं वेतनमान का तुलनात्मक विवरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा एवं शासन स्तर पर समिति गठित कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु सं0–12.05 :–

विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन होने पर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लोगो एव पैड का अनुमोदन।

प्रस्ताव– उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या –399/XXXVI (3) / 202063 (1) 2020, दिनांक 28–10–2020 के द्वारा अधिनियम में संशोधन, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में ''उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय'' शब्दों के स्थान पर, जहाँ–जहाँ वे आते है ''वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय'' शब्द रखे जाएंगे। तथा इसी का अग्रेंजी वर्जन Amendment in the Act 2. In the Uttarakhand Technical University Act 2005 (herein after referred to as principal Act) for the words "Uttarakhand Technical University wherever they occur the wourds " Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University'' shall be substituted. अतः उक्त के कम में विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित होने के कारण संलग्नानुसार वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लोगो एव पैड का प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(संलग्नक–03)

विनिश्चय :– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लोगो एवं पैड का प्रारूप माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लोगो एवं पैड के प्रारूप का अवलोकन करते हुए संलग्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.06

विश्वविद्यालय में नये पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का अनुमोदन।

प्रस्ताव – विश्वविद्यालय की विनियमावली प्रख्यापित होने के पूर्व विभिन्न शासनादेशों के द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 104 पदों का सृजन किया गया था लेकिन शासनादेश सं0 833/XLI-1/18-39/2005 दिनांक 23 नवम्बर, 2018 के द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्याल के ढांचे को पुर्नगठित करते हुए 27 पदों को समाप्त कर दिया गया।

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल 77 पद सृजित हैं लेकिन आवश्यकता के कम में फार्मेसी, एमबीए एवं विधि पाठ्यकमों के संचालन हेतु 16 शैक्षणिक पदो के अतिरिक्त परीक्षा संचालन हेतु उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक तथा कार्यों के डिजिटाईजेशन हेतु सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर के अतिरिक्त 10 गैर शैक्षणिक पद एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के 12, 15 सुरक्षाकर्मी एवं 07 ड्राईवर के पदों के सृजन की आवश्यकता है। तद्नुसार प्रस्ताव कार्य परिषद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त पद सृजन हेतु विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

As proposed

विनिश्चय :– उक्त प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय में सृजित पदों के अतिरिक्त प्रस्तावित नये पदों के सृजन का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.07

विश्वविद्यालय हेतु कनिष्ठ अभियन्ता सिविल एवं इलेक्ट्रीकल के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव – उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली 2018 के परिशिष्ठ क में कनिष्ठ अभियंता सिविल एवं इलैक्ट्रीकल के 01–01 पद का सृजन किया गया है। इन पदों प्रतिनियुक्ति से भरे जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में सिविल तथा इलैक्ट्रीकल मैंटेनेंस की आवश्यकता के क्रम में विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्य परिषद से कनिष्ठ अभियन्ता सिविल एवं इलेक्ट्रीकल के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :– विश्वविद्यालय हेतु कनिष्ठ अभियन्ता सिविल एवं इलेक्ट्रीकल के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियमानुसार रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.08

विश्वविद्यालय में कार्य की अधिकता को देखते हुए 05 कम्प्यूटर / डाटा इंट्री ऑपरेटर को पी0डब्लू0डी0 / श्रम विभाग की दरों पर दैनिक वेतन पर रखे जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव – विश्वविद्यालय स्थापना काल से समय–समय पर आउटसोसिंग के माध्यम से योजित कई कार्मिकों को उनके अनुरोध के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा आउटसोसिंग ऐजेन्सी को समर्पित किया गया है। एन.ई.पी. 2020 के कियान्वयन एवं आधुनिक परिपेक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा उद्योग के मांग के अनुरूप रोजगारपरख कई पाठ्यकमों को संचालित करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न डिजिटल कार्यों के कुशलतापूर्वक सम्पादन तथा विश्वविद्यालय में कार्य की अधिकता को देखते हुए 05 कम्प्यूटर / डाटा इंट्री ऑपरेटर को पी0डब्लू0डी0 / श्रमविभाग की दरों पर दैनिक वेतन पर रखे जाने का प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–विश्वविद्यालय की नये कार्मिकों को रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त समिति की 19वीं बैठक में रखा गया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि अनुमन्य दैनिक वेतन पर 05 कम्प्यूटर / डाटा इंट्री आपरेटर रखने की कार्यवाही की जाये। तद्नुसार वित्त समिति के निर्णय पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.09

विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कार्य के प्रचलन को बढावा देने हेतु 01 सिस्टम मैनेजर 01 सिस्टम ऐनालिस्ट को आउटसोर्स एजेसी के माध्यम से रखे जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव – वर्तमान में नवीन तकनीकियों का उपयोग करते हुए सभी कार्यों को डिजिटाईजेशन मोड में संचालित किया जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत कार्यों के डिजिटाईजेशन तथा विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कार्य के प्रचलन को बढावा देने हेतु 01 सिस्टम मैनेजर 01 सिस्टम ऐनालिस्ट को आउटसोर्स एजेसी के माध्यम से रखे जाने का प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–विश्वविद्यालय में 01 सिस्टम मैनेजर 01 सिस्टम ऐनालिस्ट को आउटसोर्स एजेसी के माध्यम से रखे जाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति की 19वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में उपलब्ध एम0टेक0 के शिक्षकों से यह कार्य संपन्न कराया जाये। एवं भविष्य में इसकी समीक्षा की जाय पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.10

ART PARK के साथ कार्य करने हेतु Section –8 कम्पनी हेतु पंजीकरण एवं उसके बोर्ड के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः— विश्वविद्यालय में नवाचार बढ़ाये जाने के दृष्टिगत Incubation Centre के रूप में UTU Incubation Hub स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिस के अन्तर्गत Innovation, Entrepreneurship आदि गतिविधियों को बढावा देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में स्थापित जनरल बिपिन रावत डिफेन्स टैक्नोलाजी Incubation center, प्रस्तावित ATAL Incubation center आदि को समाहित किया जा सकेगा इससे छात्र/छात्राओं, फैक्ल्टी व किसी अन्य को अपने Innovative Ideas को मूर्त रूप में लाने के अतिरिक्त आत्म निर्भर उत्तरखण्ड तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहायता मिलेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा Artificial Intelligency and Robotics Technology से संबंधित कार्य हेतु Incubation Hub के अन्तर्गत ART PARK के एम.ओ.यू. सम्पादित किया है। विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय में Section–8 Non-for-Profit Company कम्पनी के रूप में पंजीकरण तथा कुलपति की अध्यक्षता में बोर्ड के गठन का प्रस्ताव एवं बोर्ड के गठन हेतु नियमानुसार कुलपति को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव भी कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :— कार्य परिषद द्वारा प्रस्तावानुसार UTU Incubation Hub/ विश्वविद्यालय के Incubation center को Section–8 Non-for-Profit Company कम्पनी के रूप में पंजीकरण के अनुमोदन तथा कुलपति की अध्यक्षता में बोर्ड के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन एवं बोर्ड के गठन हेतु सदस्यों को नामित करने तथा उक्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मा0 कुलपति को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.11 विश्वविद्यालय में ई पुस्तकालय (e library) की स्थापना हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः— विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों हेतु e-library/डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है इससे विश्वविद्यालय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध 91 संस्थानो मे अध्ययनरत् लगभग 30,000 हजार छात्र/छात्राये व शिक्षक लाभान्वित होगें। e-library की स्थापना हेतु लगभग 20 लाख रू प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्ताव विद्यापरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :— विश्वविद्यालय में ई पुस्तकालय (e library) की स्थापना किये जाने हेतु कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया एवं कार्य परिषद यह भी सुझाव दिया गया कि इस संबंध में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थानों से भी की जाये।

बिन्दु सं0–12.12 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न पाठयक्रमों का संचालन हेतु MOU निस्पादन किये जाने हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः— विश्वविद्यालय तथा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी द्वारा सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नानुसार आपसी सहयोग करार कर साझा गतिविधियॉ संचालित करना प्रस्तावित है।

For Sharing common desire to extend and strengthen the functional relationship between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Dehradun and Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi.MOU is to be sign between these two organizations .

The purpose of this MOU is to foster collaboration, on the development of mountaineering and geographical information system in India and to facilitate

advancement of knowledge on basis of reciprocity, best effort, mutual benefit and frequent interaction , UTU and NIM.

The MOU is proposed to cover the following activities.

a. To establish a close linkage and functional coordination between UTU and NIM
b. Exchange of information on research, training, learning materials
c. Joint organization of the symposium, seminars, conferences, workshops and short- term containing education programs on topics of mutual interest.
d. Joint proposal and engagement in research or training programs.
e. Running 01 year PG Diploma in Mountaineering and Adventure Technology.

MOU तथा प्रस्तावित PG Diploma ड्राफ्ट माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है। उपरोक्त संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी तथा विश्वविद्यालय के साथ MOU आवश्यकतानुसार परिमार्जन करते हुये सम्पादित करने की कार्यवाही विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(संलग्नक–04)

विनिश्चय :– नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी व विश्वविद्यालय के मध्य MOU आवश्यकतानुसार परिमार्जन करते हुये सम्पादित करने की कार्यवाही एवं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न पाठयक्रमों का संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.13

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के Alumni Cell के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानो से उत्तीर्ण छात्र छात्रायें वर्तमान में देश विदेश की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानो में कार्यरत है कई छात्र छात्रायें अपना उद्योग स्वयं से संचालित कर प्रदेश एवं देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। अतः उनके अनुभवों को संचित करते हुए नई आवश्यकताओं के क्रम में पठन पाठन को सुदृढ करने इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय में Alumni Cell के गठन करने का प्रस्ताव है तथा इस सम्बन्ध में कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :– नई आवश्यकताओं के क्रम में पठन पाठन को सुदृढ करने इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय में Alumni Cell का गठन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.14

ट्रेनिंग एडं प्लेसमेंट सेल (Training and Placement Cell) के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः– रोजगार को बढावा देने के उददेश्य से समस्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एडं प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है। साथ ही सभी संबद्ध संस्थानों के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को एक पोर्टल डिजिटल एप के माध्यम से जोडा जायेगा। तदअनुसार पोर्टल व एप के निर्माण कराने हेतु भविष्य में कार्यवाही किये जाने तथा सैल के गठन की सूचना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :– बैठक में रोजगार को बढावा देने के उददेश्य से विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एडं प्लेसमेंट सेल का गठन किये जाने तथा विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध संस्थानों में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को एक पोर्टल विकसित करने एवं मोबाइल एप के माध्यम से सभी संबंधितों को जोड़े जाने एवं इस संबंध में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थानों से किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—12.15

IQAC (Internal Quality Assurance Cell) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव:— यू0जी0सी0द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में समस्त संस्थानों की गुणवत्ता के स्तर के सुधार के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर Internal Quality Assurance Cell का गठन निम्नवत् किया जाना प्रस्तावित है:—

- संरचना

1. विश्वविद्यालय के कुलपति —अध्यक्ष
2. 08 वरिष्ठ शिक्षक एवं 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य
3. मैनेजमेंट / उद्योग / स्थानिय स्तर के 03 बाहय विशेषज्ञ —सदस्य
4. निदेशक IQAC —पदेन सदस्य

- उददेश्य

1—विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रदर्शन में सुधार के लिए जागरूक, सुसंगत कार्यवाही के लिए एक गुणवत्ता प्रणाली (Quality System) विकसित करना।

2— Quality Culture एवं Institutional Best Practices के माध्यम से गुणवत्ता वृद्धि (Quality Enhancement) की दिशा में कार्य करना।

- कार्य प्रणाली

1—छात्र / अभिभावकों / प्रबंधन से गुणवत्ता संबंधी Feedback प्राप्त करना।

2— Quality Assurance Body (NAAC, NBA,AB) द्वारा जारी निर्धारित प्रारूपों पर Annual Quality Assurance Report तैयार करना।

उपरोक्त अनुसार माननीय सदस्यों से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

इसी प्रकार NAAC द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी संबद्ध संस्थानों में IQAC गठित कराये जाने एवं भविष्य में इनके NAAC Accrediatation सम्पन्न कराने का प्रस्ताव है। उपरोक्त विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय :—यू0जी0सी0द्वारा जारी निर्देशों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों की गुणवत्ता के स्तर के सुधार के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर IQAC (Internal Quality Assurance Cell) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन तथा भविष्य में NAAC Accrediatation सम्पन्न कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0—12.16

Skill Development & Sustanable Development goals Cell के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव— सम्बद्ध संस्थानों के द्वारा अपनी विशिष्टताओं, भौगोलिक, सामाजिक एवं उपलब्ध बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित Sustanable Development goals पर प्रभावी कियान्वयन एवं Skill Oriented प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में Skill Development & Sustanable Development goals Cell के गठन हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :— संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित Sustanable Development goals पर सम्बद्ध संस्थानों के प्रभावी कियान्वयन एवं Skill Oriented प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में Skill Development & Sustanable

Development goals Cell के गठन पर माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.17–ERP सिस्टम विकसित करने हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन, सम्बद्धता, शैक्षणिक प्रबन्धन, ई–गवर्नेस, कार्यालयी प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग, मा0न्यायालयों में वाद पर कार्यवाही, वित्तीय प्रबन्धन एवं छात्रों के पंजीकरण, Choice Based Credit प्रणाली लागू करना,उपस्थिति का संग्रहीकरण,शिक्षकों का Data base, परीक्षा फार्म, परीक्षा केन्द्रो का नियंत्रण On screen डिजिटल मूल्यांकन, कॉलेज लॉगइन, छात्र लॉगइन, शिक्षक लॉगइन, विश्वविद्यालय लॉगइन, डिजिटल स्वरूप में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा निर्माण से पूर्व संबंधित छात्रों को डिजिटल स्वरूप में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा निर्माण से पूर्व संबंधित छात्रों को डिजिटल स्वरूप में अवलोकित कराये जाने की व्यवस्था, Digitally Encrypted स्वरूप में प्रश्न पत्रों का परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषण, ऑनलाइन परीक्षार्थियों की उपस्थिति का संग्रहीकरण, परीक्षाफल निर्माण, परीक्षाफल की घोषणा, छात्रों हेतु Help Desk की सुविधा, ऑनलाइन मार्कसीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, डिग्री प्रिंटिंग जैसी सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक व परीक्षा संबंधी दायित्वों का समग्रता से डिजिटलीकरण करने की नितान्त आवश्यकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा सभी गतिविधियों के सुचारू व समयबद्ध निष्पादन हेतु ई0आर0पी0 प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों व संस्थानों से संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता व गुणवत्ता का समावेश किया जा सके। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समग्र रूप से **"यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम"** बनाये जाने से आगामी परीक्षाओं, परीक्षाफलों व परीक्षा संबंधी अभिलेखों का त्वरित व प्रभावी सम्पादन हो सकेगा। अतः विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण हेतु समग्रता से तैयार ई0आर0पी0 यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने के लिए प्रस्ताव कार्य परिषद के मा0 सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :– विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों व संस्थानों से संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता व गुणवत्ता का समावेश किये जाने तथा आगामी परीक्षाओं, परीक्षाफलों व परीक्षा संबंधी अभिलेखों का त्वरित व प्रभावी सम्पादन किये जाने तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक,परीक्षा, प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण हेतु विश्वविद्यालय में समग्र रूप से **"यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम"** तैयार कर प्रभावी करने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.18 विश्वविद्यालय में शिक्षकों/अधिकारियों/निदेशक/प्राचार्य के चयन समिति तथा स्क्रूटिनी/स्क्रीनिंग कमेटी हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों, प्राचार्य, निदेशकों प्राचार्य/अधिकारियों के चयन व प्रोन्नति के संबंध में गठित की जाने वाली चयन समितियों में विषय–विशेषज्ञ एवं शिक्षाविदों के नामांकन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत विशेषज्ञों का पैनल कार्य परिषद क विचारार्थ–अनुमोदनार्थ पटल पर इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि प्रस्तुत विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदनार्थ कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

स्क्रूटिनी कमेटी हेतु प्रस्ताव

1–महाविद्यालय का 01 प्राचार्य अध्यक्ष
2–कोई 01 प्रोफेसर
3–अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई 01 फैकल्टी।
4–उप कुलसचिव/सहायक वित्त अधिकारी सदस्य सचिव।

चयन समिति

1– कुलपति – अध्यक्ष
2– तीन विषय विशेषज्ञ

3– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि।
4– महिला प्रतिनिधि।

विनिश्चय :–बैठक में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों, प्राचार्य, निदेशकों प्राचार्य/अधिकारियों के चयन व प्रोन्नति के संबंध में गठित की जाने वाली चयन समितियों में विषय–विशेषज्ञ एवं शिक्षाविदों के नामांकन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत बैठक में प्रस्तुत विशेषज्ञों के पैनल की सूची का मा0 सदस्यों द्वारा अवलोकन करते हुए तैयार पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं इस संबंध में चयन समिति का गठन तथा चयन कार्यवाही ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं के नियमों के अंतर्गत करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–12.19–

वर्तमान सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी का संचालन विश्वविद्यालय कैम्पस कालेज के रूप में संचालन हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव–

01. विश्वविद्यालय द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी के संचालन के सम्बंध में प्रस्तुतिकरण निम्नवत है।शासनादेश संख्या 1030/XLI-1/2013-मु0घो0–33/12 दिनांक 23.10.2013 के क्रम में प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में सैद्धाकित रूप से स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत इंजीनियरिंग संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविलि इंजीनियरिंग, एवं इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, पाठ्यक्रमों में 60–60 प्रवेश क्षमता के साथ कुल 300 सीटों की संख्या के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था।

साथ ही प्रश्नगत इंजीनियरिंग,संस्थान के संचालन मे आने वाला आवर्तक व्यय उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से वहन यिकया जायेगा। अवस्थापना सुविधाओं (अनावर्तक व्यय) मे प्रत्येक वर्ष आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में वहन किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

02. उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निर्माण ईकाई नामित किया गया एवं ततक्रम में उक्त योजना हेतु स्वीकृत लागत रू0 2273.88 लाख के सापेक्ष रू0 775.00 लाख शासकीय एवं रू0 800.00 लाख यू0टी0यू0 अंश सहित कुल धनराशि रू0 1575.00 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये गये थे जिसके सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया साथ ही उक्त संस्थान की स्थापना हेतु क्रय की गयी निजी भूमि के लिये विश्वविद्यालय द्वारा भवन निर्माण के अतिरिक्त रू0 140.00 लाख (रू0 एक करोड़ चालीस लाख) की धनराशि भी वहन की गयी है।

03. उक्त संस्थान में वर्तमान में निर्माण की स्थिति निम्न अनुसार है :–
 01. ब्लॉक प्रथम पूर्ण (2803 वर्ग मीटर)।
 02. ब्लॉक द्वितीय पूर्ण (670 वर्ग मीटर)।
 03. ब्लॉक तृतीय 2046 वर्ग मीटर के नींव कार्य कार्य पूर्ण,भूतल, प्रथम तल में एल0जी0एस0एफ0 का कार्य धनाभाव के कार्य बाधित है।
 04. ब्लॉक चार (2046 वर्ग मीटर) के नींव कार्य कार्य पूर्ण एवं अन्य कार्य बाधित।
 05. ब्लॉक पांच (2475 वर्ग मीटर आर0सी0सी0) अभी आरम्भ नही किया गया है।

मा0 कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में भौतिक निरीक्षण किया गया। भौतिक निरीक्षण मे यह पाया गया कि सम्बन्धित संस्थान में प्रथम ब्लॉक लगभग 2803 वर्ग मीटर तथा ब्लॉक द्वितीय 670 वर्ग मीटर विगत दो तीन वर्षो से निर्माण कार्य पूर्ण है । संस्थान संचालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित निर्मित भवन में कुछ टूट–फूट हो गयी है जिसका अनुरक्षण कर इन निर्मित भवनों में संस्थान का संचालन किया जा सकता है।

04 :– विश्वविद्यालय के अन्य संघटक संस्थानों का संचालन एवं उनके द्वारा तकनीकी क्षेत्र में वर्तमान में प्रभावी योगदान न होने के अनुभव के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 व संशोधित अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के आयोजन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा के व्यवस्था के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी संस्थान को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में सचांलित किया जाना प्रस्तावित है।

05 :– वर्तमान में कोविड–19 के दृष्टिगत कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न निजी विश्वविद्यालय एवं अन्य इंजीनियरिंग संस्थान कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजीनियरिंग तथा Artificial Intelligence के क्षेत्र में पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

अतः उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय को कैम्पस संस्थान के रूप में प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी में वर्तमान सत्र से ही निम्न 02 कोर्स संचालित किये जाने प्रस्तावित है :

01- **B.Tech in Computer Science & Engineering - प्रवेश क्षमता – 120**

02- **B.Tech in Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning - प्रवेश क्षमता – 60**

03- उद्योगिक मांग के अनुसार/शासन द्वारा प्रस्तावित अन्य पाठयक्रम

कैम्पस संस्थान के रूप में संचालन किये जाने पर सम्बन्धित पाठयक्रमों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा उक्त संस्थान को गुणवत्ता पूर्वक संचालित किया जायेगा। भविष्य मे निर्माण कार्य पूर्ण होने पर औद्योगिक मांग एवं रोजगार की आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य पाठयक्रम भी संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित किये जायेगे।

(6) वर्तमान में उक्त संस्थान को संचालन की स्थिति में लाने हेतु फर्नीचर/साज–सज्जा आदि कि नियमानुसार अधिप्राप्ति, बिजली/पानी की व्यवस्था करने एवं वेतन भत्तें आदि के भुगतान हेतु तथा 02 निर्मित भवनों की टूट–फूट को सही करने हेतु लगभग रू0 350.00 लाख (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की आवश्यकता होगी जिसकी प्रतिपूर्ति छात्रों से प्राप्त होने वाली शुल्क से की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालन करने तथा प्रस्तावित 03 पाठयक्रमों अथवा राज्य सरकार के अनुमोदनानुसार पाठयक्रमों को चलाने व अतिरिक्त संबंधित धनराशि के औचित्यपूर्ण व्यय हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :– बैठक में प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालन करने तथा प्रस्तावित पाठयक्रमों को राज्य सरकार के अनुमोदनानुसार चलाने व संस्थान के निर्माण,अनुरक्षण, अन्य आधारभूत सुविधाओं व स्टाफ के रखे जाने के अनुमोदन के साथ–साथ इस संबंध में वित्त समिति द्वारा पारित धनराशि के औचित्यपूर्ण व्यय हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या:–12.20</u>

स्ववित्त पोषित के रूप में राज्य सरकार के संचालित 05 इंजीनियरिंग संस्थान Nanhi Pari Seemant Institute of Technolgoy, Pithoragarh, THDC Institute of Hydropower Engg. & Tecnology, Tehri Garhwal, Women Institute of Technology, Dehradun, IT Gopeshwar, Dr. APJ Abdul Kalam Institute of Technology, Tanakpur को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव – विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार द्वारा सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (TEQIP-III)के पूर्व उपरोक्त सभी संस्थान विश्वविद्यालय संघटक संस्थान के रूप में स्थापित एवं संचालित थे। संबंधित परियोजना के अन्तर्गत कतिपय संस्थानों हेतु प्रशासकीय परिषदों का गठन किया गया एवं तद्नुसार संस्थायें प्रशासकीय परिषद के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के रूप में संचालित है। वर्तमान में उक्त परियोजना समाप्त हो गयी है। विभिन्न संस्थाओं हेतु अलग–अलग प्रशासकीय परिषद एवं अलग–अलग विनियावली प्रख्यापित होने के कारण संस्थाओं के संचालन एवं संस्थाओं पर विश्वविद्यालय का प्रशासन नियंत्रण न होने के कारण उनकी प्रभावी मॉनीटरिंग आदि न होने के क्रम में दिनांक 02.09.2022 को मा0 मंत्री तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संस्थानों को

विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित किया जायेगा। उक्त के कम में उपरोक्त संस्थानों का निम्न शर्तों के अधीन कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

1. संस्थानों की अद्यतन देनदारियों (liabilities)का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2. संस्थाओं में गुणवत्तापरख प्रशिक्षण के लिए विभिन्न नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुसार भवन अन्य स्थापना सुविधाओं आदि के लिए आवश्यक धनराशि एक मुश्त अनावर्तक ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
3. संस्थानों के संचालन हेतु आवश्यक आवर्तक धनराशि की प्रतिपूर्ति संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क से की जायेगी लेकिन इस संबंध में आय व व्यय के गैप (अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति) राज्य सरकार द्वारा तब तक वहन की जायेगी जब तक की गैप शून्य न हो जाय।
4. नियामक संस्थाओं मानकों के अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

विनिश्चय :– बिन्दु पर दिनांक 02.09.2022 को मा0 मंत्री तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय को संज्ञान में लेते हुए कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा निम्न संस्थानों:–

1- Nanhi Pari Seemant Institute of Technolgoy, Pithoragarh,
2- THDC Institute of Hydropower Engg. & Tecnology, Tehri Garhwal,
3- Women Institute of Technology, Dehradun,
4- IT Gopeshwar,
5- Dr. APJ Abdul Kalam Institute of Technology, Tanakpur

को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित किये जाने के साथ उपरोक्त संस्थानों को प्रस्ताव अनुसार निम्न शर्तों के अधीन कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं तद्नुसार शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए औचित्य पूर्ण प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

1– संस्थानों की अद्यतन देनदारियों (liabilities)का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2–संस्थाओं में गुणवत्तापरख प्रशिक्षण के लिए विभिन्न नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुसार भवन अन्य स्थापना सुविधाओं आदि के लिए आवश्यक धनराशि एक मुश्त अनावर्तक ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दी जायेगी।

3–संस्थानों के संचालन हेतु आवश्यक आवर्तक धनराशि की प्रतिपूर्ति संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क से की जायेगी लेकिन इस संबंध में आय व व्यय के गैप (अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति) राज्य सरकार द्वारा तब तक वहन की जायेगी जब तक की गैप शून्य न हो जाय।

4–नियामक संस्थाओं मानकों के अनुसार शैक्षणिक पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

<u>बिन्दु संख्या:–12.21</u>

श्री मुकेश कुमार, स्टोर कीपर के वेतन सम्बन्धी प्रकरण समिति के अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव–1–वित्त समिति की 18 वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार श्री मुकेश कुमार स्टोर कीपर के वेतन सम्बन्धी प्रकरण पर दिनांक 12 अप्रैल 2022 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें समिति द्वारा श्री मुकेश कुमार, स्टोर कीपर को शासनादेश संख्या–883/XLI-1/18-39/2005 दिनांक 28 नवम्बर 2018 द्वारा पदों के पुनर्गठित ढॉचे में स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप वेतनमान 5200–20200ग्रेड वेतन 2400(वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स के लेवल–4) शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से दिये जाने की संस्तुति की गयी है। तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा पत्रावली में निर्देश दिए गये है कि संबंधित प्रकरण को वित्त समिति /कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए। उक्त प्रकरण 19 वीं वित्त समिति मे प्रस्तुत किया गया है अतः 19 वीं वित्त समिति के अनुमोदनोपरांत कार्य परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

Agenda 12.20 and clause therein to be put up for clearance & concurrence of state government.

विनिश्चय :— श्री मुकेश कुमार, स्टोर कीपर के वेतन सम्बन्धी प्रकरण को विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति मे में लिये गये निर्णय के कम में शासनादेश संख्या–883/XLI-1/18-39/2005 दिनांक 28 नवम्बर 2018 के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–12.22

11वीं कार्य परिषद की बैठक के उपरांत राज भवन से प्राप्त संबंद्धता आदेशों का विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् के मा0 सदस्यों का अनुमोदन।

प्रस्तावः–

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 24 (2) के अनुसार **कार्यपरिषद्, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से सम्बद्धता की ऐसी शर्तो की, जो विहित की जाए, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेष अधिकार को बढ़ा सकेगी या उसे वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी** के कम में कार्यपरिषद् से 11वी कार्य परिषद की बैठक के उपरांत राजभवन से प्राप्त निम्नानुसार सम्बद्धता आदेशों को कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। निम्न के अतिरिक्त कार्य परिषद की 12 वीं बैठक की तिथि तक राजभवन से प्राप्त सम्बद्धता आदेशों को कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

1–जागरण स्कूल आफ लॉ दे0दून	विधि पाठयकम– सत्र 2021–22
2 चमन लाल लॉ कालेज रूड़की	विधि पाठयकम– सत्र 2021–22
3–बीहाइब कालेज आफ इंजी0 एण्ड टेक्नालोजी देहरादून	बी0टेक0 पाठयकम–2020–21 एवं 2021–22
4–शिवालिक कालेज ऑफ इजी0 देहरादून।	बी0टेक0 पाठयकम सत्र– 2021–22
5–आई0पी0एस0 रूड़की	विधि पाठयकम– सत्र 2020–21 एवं 2021–22

(संलग्नक–05)

विनिश्चय :— कार्य परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय की 11वीं कार्य परिषद की बैठक के उपरांत राजभवन से प्राप्त ऐसे संस्थानों के संबंधित पाठयकमों की सन्दर्भित अवधि के सम्बद्धता देने हेतु अनुमोदन का निर्णय लिया गया उक्त के अतिरिक्त कार्य परिषद की 12वीं बैठक की तिथि तक राजभवन से प्राप्त सम्बद्धता आदेशों पर सम्बद्धता देने का कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–12.23

यू0टी0यू0 निधि से निर्मित विभिन्न कार्य विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन हेतु आंवटित भूमि पर तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निमग द्वारा सम्पादित कराये गये है। कुछ कार्य लगभग पूर्ण है तथा कुछ कार्य फिनिसिंग स्टेज पर है। इन कार्यो का विगत कई वर्षो से उपयोग किया जा रहा है। किन्तु अभी तक योजनाओं का विधिवत् हस्तांतरण नहीं हो पाया है जिस कारण योजनाओं के रख–रखाव आदि में समस्या हो रही है। विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यो का विश्वविद्यालय द्वारा गठित भवन अनुश्रवण कमेटी से तृतीय पक्ष मूल्यांकन हेतु कार्यदायी संस्था को कई बार निर्देशित किया गया है किन्तु कार्यदायी संस्था मूल्यांकन के समय उपस्थित न होकर सहयोग प्रदान नहीं कर रही है।

अतः कार्यदायी संस्थाओं को पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तावित है कि सभी कार्यो की अद्यतन स्थिति के अनुसार तृतीय पक्ष के मूल्यांकन उपरांत यदि विश्वविद्यालय की देनदारी आती है तो कार्यदायी संस्था के शेष भुगतान किये जाने एवं यदि मूल्यांकन उपरांत कार्यदायी संस्था पर वसूली आती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था से धनराशि वसूली की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ एक कमेटी गठित कर अद्यतन स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित कार्यो की नियमानुसार इंवेट्री/अधिग्रहण तथा आवश्यकतानुसार कार्यो का अनुरक्षण किये जाने के प्रस्ताव अनुमोदनार्थ कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

विनिश्चय :– बैठक में कार्यदायी संस्था "उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम" द्वारा विश्वविद्यालय के अपूर्ण निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने तथा पूर्ण की गयी योजनाओं के विधिवत् हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उक्तानुसार यदि कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यो को पूर्ण नहीं करती अथवा पूर्ण की गयी योजनाओं का विधिवत् हस्तानान्तरण नहीं करती है तो विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति से तृतीय पक्ष मूल्यांकन उपरांत यदि विश्वविद्यालय की देनदारी आती है तो कार्यदायी संस्था को शेष भुगतान किये जाने एवं यदि मूल्यांकन उपरांत कार्यदायी संस्था पर वसूली आती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था से धनराशि वसूली की कार्यवाही किये जाने व निर्धारित कार्य समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की स्थिति में कार्यदॉयी संस्था के विरूध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ–साथ एक कमेटी गठित कर अद्यतन स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित कार्यो की नियमानुसार इंवेट्री/अधिग्रहण कर आवश्यकतानुसार कार्यो के अनुरक्षण किये जाने हेतु माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

Relevant points to be put up for clearance of state government as per rules & due process. 17/9/22

(श्रीमती नमामी बंसल)
अपर सचिव
तकनीकी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

17/9/22

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव
उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव
न्याय
उत्तराखण्ड शासन

(श्री हरीश सिंह बिष्ट)
अनुसचिव (अपर सचिव)
वित्त
उत्तराखण्ड शासन

(श्री अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव (अनुसचिव)
चिकित्सा शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(श्री रवि कुमार) 17/9/2022
निदेशक, प्रतिनिधि
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की।

Alakananda Ashok 17/9/22
(डॉ0 अलकनन्दा अशोक)
कुलपति, प्रतिनिधि
जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर

(आर0पी0गुप्ता)
कुलसचिव

(डॉ0 ओंकार सिंह)
कुलपति,

संलग्नक – 01

दिनांक 05.05.2022 को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की आहूत "कार्य परिषद्" की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की कार्यपरिषद की 11वीं बैठक दिनांक 05.05.2022 को पूर्वाहन 11:30 बजे विश्वविद्यालय के सेमिनार कक्ष में डॉ0 पी0पी0 ध्यानी, माननीय कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद्, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में कार्य परिषद् के निम्न माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया:–

1–डॉ0 पी0पी0 ध्यानी, कुलपति/अध्यक्ष, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	अध्यक्ष
2–श्री वेदी राम, अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन(सचिव त0शि0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
3–श्री एम0एम0 सेमवाल,अपर सचिव उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन(सचिव उ0शि0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
4–श्री आर0के0श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन(सचिव न्याय के प्रतिनिधि) (बैठक में आनलाइन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
5–श्री संजय टोलिया ,संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन(सचिव वित्त के प्रतिनिधि) (बैठक में आनलाइन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
6–श्री सुनील कुमार सिंह,अनुसचिव,चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन(सचिव चिकित्साकेप्रतिनिधि)	सदस्य
7–डॉ0 यशपाल सिंह नेगी, निदेशक, एस.आई.एच.एम.टी., नई टिहरी	स्थायी आंमत्रित सदस्य
8–डॉ0 अमित अग्रवाल, निदेशक, आई0टी0 टनकपुर	स्थायी आंमत्रित सदस्य
9–डॉ0 वाई0 सिंह, निदेशक, जीबीपीईसी घुडदौडी, पौडी गढ़वाल	आंमत्रित सदस्य
10–डॉ0 के0के0 एस0 मेर, निदेशक, आई0टी0 गोपेश्वर, जनपद चमोली	आंमत्रित सदस्य
11–डॉ0 मनोज कुमार पॉडा, शोध समन्वयक, वी.एम.एस.बी. उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	आंमत्रित सदस्य
12–श्री प्रवीन कुमार अरोड़ा, परीक्षा नियंत्रक, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	आंमत्रित सदस्य
13–श्री विकम सिंह जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	आंमत्रित सदस्य
14–श्री आर0पी0 गुप्ता, कुलसचिव, वी.एम.एस.बी.उ.प्रौ.वि.वि., देहरादून	पदेन सचिव

बैठक का शुभारंभ करते हुए मा0 कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया तथा वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के प्रस्तावित षष्ठम दीक्षांत समारोह आयोजित किये जाने की मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय की अनुमति प्रदान किये जाने की सूचना से अवगत कराया गया तथा विश्वविद्यालय के उत्थान में समस्त सम्मानित सदस्यों के सक्रिय सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। मा0 कुलपति महोदय के उक्त उद्बोधन के बाद बैठक की कार्यवाही विश्वविद्यालय के कुलसचिव/पदेन सचिव श्री आर0पी0 गुप्ता द्वारा प्रारम्भ की गयी, जिसमें निम्न निर्णय लिए गये:–

एजेण्डा बिन्दु : 11–01 (क) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की सम्पन्न हुई "कार्य परिषद्" की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) कार्य परिषद् की दिनांक 18 सितम्बर 2020 को सम्पन्न हुई 10वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के कृत कार्यवाही की सूचना दी गयी जिस पर माननीय सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : 11–02

वीर माधो सिंह भण्डरी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के षष्ठम दीक्षांत समारोह के आयोजन का अनुमोदन।

प्रस्ताव:– मा0 श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय द्वारा दिनांक 13 मई 2022 को विश्वविद्यालय का षष्ठम दीक्षांत समारोह आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। तत्क्रम में निम्नानुसार प्रस्तावित है।

(1) विश्वविद्यालय के ओडिटोरियम में दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु मा0 सदस्यों कीसहमति प्रार्थनीय है।

(2) विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण सभी यू.जी./पी.जी. उपाधि धारकों को सत्र 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–2020 एवं 2020–2021 की उपाधियां तथा वर्ष 2017 से वर्ष 31 मार्च 2022 तक के पी0एच0डी0 धारकों को पी0एच0डी0 की उपाधि दिये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

(3) उक्त दीक्षांत समारोह में आमंत्रित सदस्यों का सूक्ष्म विवरण, माननीय सदस्यों केअवलोनार्थ/अनुमोदनार्थ।

(4) दीक्षांत समारोह का क्षण–प्रतिक्षण कार्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.02 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–03

विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उपाधि/मैडल प्रदान किये जाने हेतु मा0 सदस्यों का अनुमोदन।

प्रस्ताव:– विश्वविद्यालय से सत्र 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं सत्र 2020–21 में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उपाधि/मैडल प्रदान किये जाने निम्नवत् प्रस्तावित है।

(1) वर्ष 2017 से 31 मार्च 2022 तक संलग्न विवरण के अनुसार कुल 308 पी0एच0डी0 उपाधि धारकों को पी0एच0डी0 की उपाधि प्रदान किये जाने का अनुमोदन।

(2) सत्र 2016–17 से 2020–2021 तक विभिन्न यू.जी./पी.जी. पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण 38791 छात्र–छात्राओं को उपाधियां प्रदान किये जाने का अनुमोदन.

(3) सत्र 2017 से 2021 तक के विभिन्न यू.जी./पी.जी. पाठयक्रमों के टॉपर 66 छात्र–छात्राओं को गोल्ड मैड़ल प्रदान किये जाने का अनुमोदन।

विनिश्चय :–11.03 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–04 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 08वीं, 09वीं, 10वीं एवं 11वीं बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 08वीं बैठक दिनांक 21–07–2018, 09वीं बैठक दिनांक 28–07–2020, 10वीं बैठक दिनांक 25–02–2021 एवं 11वीं बैठक दिनांक 30–04–2022 को सम्पन्न हुई बैठकों के कार्यवृत्तों की मा0 सदस्यों द्वारा सम्पुष्टि/अनुमोदन।

विनिश्चय :–11.04 अपर सचिव तकनीकी शिक्षा द्वारा सम्पन्न हुई विद्या परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दु बैठक में प्रस्तुत करने हेतु दिए गये सुझाव के कम में कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 08वीं, 09वीं, 10वीं एवं 11वीं बैठकों के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं को समिति के समक्ष रखा गया जिस पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में पूर्व में सम्पन्न हुई विद्यापरिषद के कार्यवृत्त जिनका अनुमोदन कार्यपरिषद की बैठक लिया जाना प्रस्तावित किया जाना है उन बैठकों के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या को भी कार्यवृत्त के एजेण्डा/विवरण में संलग्न किया जाय।

एजेण्डा बिन्दु : 11–05

विश्वविद्यालय, वित्त समिति की आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की 10वीं **बैठक 18 सितम्बर 2020** को आयोजित हुई थी जिसमें राजभवन उत्तराखण्ड देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 26–04–2019 में लिए गये निर्णय के परिपालन में बिन्दु 3(1) के अनुपालन में सत्र 2018–19 एवं इससे पूर्व के अस्थाई संबंधता के 214 प्रकरणों के निस्तारण संबंधी बिन्दु भी प्रस्तुत किये गये थे जिसमें वित्त समिति एवं विद्या परिषद् आदि में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः विश्वविद्यालय, द्वारा आहूत/सम्पन्न वित्त समिति की आयोजित 14वीं बैठक दिनांक 10.11.2016, 15वीं बैठक दिनांक 05.12.2017, 16वीं बैठक दिनांक 12.04.2019, 17वीं बैठक 11.02.2021 एवं 18वीं वित्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, माननीय कार्य परिषद् के सम्पुष्टि/अनुमोदनार्थ ।

विनिश्चय :–11.05 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सुझाव दिया गया कि आहूत बैठक के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या को भी एजेण्डा सूची में संलग्न किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु : 11–06 (A)

राज भवन से 2019–20 एवं 2020–21 के सम्बद्धता आदेश प्राप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् के मा0 सदस्यों का अनुमोदन।

प्रस्तावः– राजभवन से शैक्षिक सत्र–2019–20 एवं 2020–21 हेतु अद्यतन 2019–20 के 25 संस्थानों तथा 2020–21 के 16 संस्थानों के सम्बद्धता आदेश प्राप्त हुए है। उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 24 (2) के अनुसार **कार्यपरिषद्, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से सम्बद्धता की ऐसी शर्तो की, जो विहित की जाए, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय**

के विशेष अधिकार को बढा सकेगी या उसे वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी के कम में कार्यपरिषद् से राजभवन से प्राप्त सम्बद्धता आदेशों को कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.06(A) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया, इसके अतिरिक्त कार्यपरिषद द्वारा ऐसे संस्थानों के संबंधित पाठ्यकमों की सम्बद्धता हेतु अनुमोदन देने का निर्णय लिया गया जिनके सम्बद्धता आदेश कार्य परिषद की बैठक तक राजभवन से निर्गत हो गये हों एवं जिनकों संलग्न–07 सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका हो।

एजेण्डा बिन्दु : 11–06 (B) टैकवर्ड वली ग्रामोद्योग विकास संस्थान रूड़की के शैक्षिक सत्र 2012–13 से 2015–16 तक की सम्बद्धता विस्तारण न होने के कम में छात्र–छात्राओं को डिग्री प्रदान करने एवं संबंधित संस्थान के सन्दर्भित अवधि के सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यपरिषद् का अनुमोदन।

प्रस्ताव:– टैकवर्ड वली ग्रामोद्योग विकास संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स कैनाल रोड़, रूड़की, जनपद–हरिद्वार द्वारा शैक्षिक सत्र 2009–10 से प्रथम बार तकनीकी पाठ्यकमों (बी.टैक.,एम. बी.ए., एम.सी.ए.) का संचालन किया गया एवं संस्थान को राजभवन सचिवालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किये गये है एवं शैक्षिक सत्र 2010–11 से 2011–12 तक सम्बद्धता विस्तारण किया गया है, जिसके सम्बद्धता में विचार हेतु दिनांक 26 मार्च,2019 को राजभवन, उत्तराखण्ड में मा0 राज्यापाल/कुलाधिपति की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुरूप विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यपरिषद् की दिनांक 18 सितम्बर 2020 को सम्पन्न हुई बैठक के अनुमोदन प्रादन किया गया। संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2012–13 से 2015–16 की सम्बद्धता विस्तारण की प्रकिया नहीं की गयी। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2012–2016 तक के प्रवेशित छात्र–छात्राओं की परीक्षाएं करवाते हुए अंकतालिकाएं निर्गत कर दी गयी। संस्थान का सम्बद्धता विस्तारण न होने के कारण छात्र–छात्राओं की उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं की गयी है। छात्र छात्राओं द्वारा उपाधियों की मांग की जा रही हैं। अतः छात्रहित में शैक्षिक सत्र 2012–13 से शैक्षिक सत्र 2015–16 तक की सम्बद्धता सम्बन्धित संस्थान को प्रदान करते हुए उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधि दिये जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.06(B) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये:–

(1) बैठक में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त संस्थान की छात्र–छात्राओं की परीक्षाएं नियमानुसार संपन्न हो चुकी है एवं छात्र–छात्राओं के उत्तीर्ण होने के उपरांत उनको अंक तालिका भी निर्गत हो गयी है 2010–11 से 2011–12 तक दिए गये सम्बद्धता आदेश के कम में 2012–13 से 2015–16 तक किसी भी पाठ्यकमों में कोई सीट बृद्धि नही की गयी है अतः पूर्व अनुमोदित सीटों के सापेक्ष मा0 सदस्यों द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया गया कि छात्रहित में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को डिग्री प्रदान कर दी जाए, किन्तु भविष्य में इसे दृष्टान्त न समझा जाए।

(2) उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा एक तथ्यान्वेषन जॉच समिति गठित कर इसकी जॉच की जाए कि संस्थान की सम्बद्धता न होने पर किस प्रकार और किस स्तर से छात्र–छात्राओं की परीक्षा आयोजित करवायी गयी और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। संबंधित समिति जॉच कर स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट मा0 कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी, एवं मा0 कुलपति को नियम अनुसार रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–07

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन।

1. **नवीन विधि संस्थान खोले जाने हेतु "उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013" के धारा 2 का (दो) खण्ड (ण)"** को पुनः निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद् के सम्मानित सदस्यों के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अधिनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव निम्नवत प्रस्तावित है:–

प्रस्ताव:–

धारा 2 का संशोधन	**2.उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–2 में:–**

(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात:–
"(ख) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा एवं विधि शिक्षा की संस्था से है;"

(दो) खण्ड (ण) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात:–
विधि शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, जो बॉर काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया एवं व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी अन्य नियामक परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

<u>औचित्य</u>

- अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष–2017 के बाद किसी भी नवीन विधि पाठ्यकम संचालित करने के इच्छुक कॉलेज/संस्थान को सम्बद्धता प्रदान नही की गयी है।
- उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून से व्यावसायिक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 को संशोधित करते हुए उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2010) प्राख्यापित किया गया। उक्त संशोधित अधिनियम–2009 की धारा–4 के द्वारा मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम–2005) में उपधारा (ण) को अन्तः स्थापित कर उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की शक्ति और कर्तव्यों को व्यासायिक पाठ्यक्रमों तक विस्तारित करते हुए निम्न व्यवस्था की गयी:–

धारा 2 के खण्ड (ख)का प्रतिस्थापन तथा खण्ड (ढ) के	4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा तथा खण्ड (ढ) के पश्चात् नया खण्ड (ण) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थातः–

पश्चात् खण्ड (ण) का अन्तःस्थापन

"(ख) अनुमोदित संस्था' का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की संस्था से है।"

"(ण)व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य बी0एड0, एम0एड0, पैरामेडिकल, मेडिकल, बी0पी0एड0, विधि शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्र सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त विज्ञान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बॉर काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया, दूरस्थ शिक्षा परिषद् एवं व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी अन्य नियामक परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।"

पुनः उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2013) में वर्णित धारा 2 (दो) अनुसार मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम–2005 यथा संशोधित उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम–2009) के उपरोक्त खण्ड (ण) को **"निरसित"** किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था की गयी:–

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–2 में:–

(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात:–

"(ख) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा की संस्था से है;"

(दो) खण्ड (ण) को निरसित कर दिया गया समझा जायेगा।

उक्त उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2013 को अधिसूचना संख्या 1003/XLI-1/17–रिट 07/2017 दिनांक 02 अगस्त, 2017 द्वारा लागू किया गया। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या 1647/XLI-1/2017–07/2017 दिनांक 07 सितम्बर, 2017 के माध्यम से निम्न निर्देश दिये गये:–

"उक्त अधिनियम (उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013) लागू होने के उपरान्त उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में संचालित समस्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2017–18 से अनिवार्य रूप से श्री देवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध माने जायेंगे"।

तत्क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 524(1) दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 के बिन्दु–2 एवं बिन्दु–3 द्वारा निर्देशित किया गया कि:–

बिन्दु–2 "श्री देवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, नई टिहरी को आतिथि तक बार काउंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त न होने के कारण विधि पाठ्यक्रमों को उक्त विश्वविद्यालय से संचालित किया जाना विधि दृष्टिकोण से सम्भव नही है।

बिन्दु–3 उर्पयुक्त परिस्थिति के दृष्टिगत छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा–11(2) (व्यावृत्ति (Saving)) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में श्री राज्यपाल महोदय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को स्थानांतरित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से विधि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों को उक्त अधिनियम लागू होने पश्चात् भी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध बने रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है"

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017 से पूर्व विधि पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 10 विधि महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है:–

- अमृत लॉ कॉलेज, धनौरी, रूड़की
- अरिहन्त लॉ कॉलेज, ग्राम–शान्तरशाह, पो0–दौलतपुर, जनपद–हरिद्वार
- बिशम्भर सहाय (पी0जी0) इंस्टीट्यूट, 06 किमी0 माईल स्टोन, दिल्ली–देहरादून रोड, रूड़की
- बी0एस0एम0 लॉ कॉलेज, रूड़की, जनपद–हरिद्वार

- चमनलाल लॉ कॉलेज, लण्ढौरा–रूड़की (हरिद्वार)
- इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, दयाल सिटी, बेदपुर, भगवानपुर, हरिद्वार बॉय पास रोड, रूड़की
- जगन्नाथ विश्वा लॉ कॉलेज, माजरी ग्रांट, लाल तप्पर, देहरादून
- जागरण स्कूल ऑफ लॉ, शंकरपुर, हुकुमतपुर, पो0ओ0–रामपुर, तहसील–विकासनगर, चकराता रोड, देहरादून
- लिब्रा कॉलेज ऑफ हॉयर स्टडीज, राजावाला रोड, वाया–प्रेमनगर, देहरादून
- सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, सहस्त्रधारा रोड, नियर आई0टी0 पार्क, देहरादून

नये विधि संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सचिव, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को प्रेषित पत्रांक संख्या 748(1)/XXIV(3)/2018–01(03)2018 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 के बिन्दु–3 एवं बिन्दु–4 द्वारा निर्देशित किया गया है कि:–

बिन्दु–3 समग्र स्थिति एवं तथ्यों के दृष्टिगत छात्र हित एवं राज्य हित में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अग्रिम आदेशों तक नवीन विधि पाठ्यक्रम (तीन वर्षीय एवं पांच वर्षीय) संचालित करने वाले संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र/एन0ओ0सी0 प्रदान नही की जायेगी।

बिन्दु–4 तदक्रम में उत्तराखण्ड राज्य में नवीन विधि पाठ्यक्रम (तीन वर्षीय एवं पांच वर्षीय) संचालन हेतु व सीट वृद्धि के प्रस्ताव हेतु बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को आवेदन कर चुकी/करने वाली पूर्व में संचालित संस्थानों/कॉलजों को राज्य सरकार की अनापत्ति/सहमति के बिना किसी भी दशा में एल0ओ0आई0 (Letter of Intent) निर्गत न किया जाय।

विशेष नोट:– उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 748(1)/XXIV(3)/2018–01(03)2018 दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 द्वारा नवीन विधि पाठ्यक्रम खोले जाने हेतु अनापत्ति/एन0ओ0सी0 प्रदान किये जाने पर लगाई गयी रोक को बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16/06/21 एवं शासन के पत्र संख्या 1111/XXIV-C-3/2021–01(03)2018 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

अवगत कराना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय को नये विधि संस्थान खोले जाने सम्बन्धी आवेदन समय–समय पर प्राप्त हो रहें है। चूंकि गत कई वर्षो से किसी भी नये विधि संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्राप्त आवेदनो पर उपरोक्त कारणो से विचार नही जा रहा है। इस समयावधि में राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा छात्रों की मांग को देखते हुए विधि के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में वीर माधों सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय को बी0सी0आई, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त नही है।

कृपया उपरोक्त तथ्यों तथा विधि के क्षेत्र में बढ़ती मांग एवं तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए **"उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013" के धारा 2 का (दो) खण्ड (ण)"** को पुनः संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.07 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा यथा प्रस्तानुसार **"उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013" के धारा 2 का (दो) खण्ड (ण)"** को पुनः संशोधित किये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया एवं सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु बार काउसिंल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होने पर विधि पाठ्यकमों को श्री देव सुमनउत्तराखण्डविश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार सम्यक कार्यवाही की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु : 11–08 विनियमावली की धारा 6.07(2) में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत

प्रस्ताव–उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली–2018 की धारा 6.07(2) में निम्न व्यवस्था वर्णित है:–

"विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविधालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होगी तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी एवं स्ववित्त पोषित श्रेणी की होगी, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य के कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेंगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे की अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जायेगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेंगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद् के निर्णय के अधीन होगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) अथवा अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से निर्गत सम्बन्धित दिशा–निर्देशों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा"।

तद्नुसार विनियमावली की धारा 6.07(2) में निम्न संशोधन प्रस्तावित है:–

"विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविधालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में 75 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए आरक्षित होगी तथा शेष 25 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे की होंगी एवं स्ववित्त पोषित श्रेणी की होगी, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। राज्य के कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मेरिट के आधार पर भरी जा सकेगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने पर राज्य के कोटे की अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरी जायेगी। सीटें रिक्त रहने पर मेरिट से भरी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यपरिषद् के निर्णय के अधीन होगी तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) अथवा अन्य सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से निर्गत सम्बन्धित दिशा–निर्देशों/व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा"।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली 2018 के अध्याय–17.01 में विनियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

"राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रथम विनियमावली में समय–समय पर यथा आवश्यकता के संशोधन किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में निहित होगा।

परन्तु विनियमावली के मूल ढांचें में परिवर्तन राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधन के द्वारा मूल ढांचें में परिवर्तन किया गया है या नहीं। इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा"।

औचित्य–उत्तराखण्ड के छात्रों को प्रवेश हेतु विभिन्न पाठ्यकमों में अधिक सीटों की उपलब्धता कराने के दृष्टिगत विद्यापरिषद् की 11वीं बैठक में लिये गये निर्णय " विनियमावली की उक्त धारा में संशोधन प्रस्ताव कार्यपरिषद् में

भेजा जायेगा" तद्नुसार कार्यपरिषद् में संशोधन प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कार्यपरिषद् के अनुमादमोपरान्त राज्य सरकार को विहित प्रकिया अनुसार संशोधन प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।

विनिश्चय :–11.08 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–09

विश्वविद्यालय में तैनात नियमित कार्मिकों के एम.ए.सी.पी. तथा पदोन्नति का अनुमोदन।

प्रस्तावः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कार्यरत 08 नियमित कार्मिकों में से 04 कार्मिकों को शासनादेश के नियमानुसार अपने–अपने संवर्ग में निर्धारित सेवावधि पूर्ण के पश्चात् पदोन्नति दी गयी तथा शेष 04 कार्मिकों कोउत्तराखण्ड के शासनादेश एम.ए.सी.पी. के अनुसार ए0सी0पी0 का लाभ इस आशय से प्रदान किया गया की सम्बन्धित प्रस्ताव को कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। तद्नुसार कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.09 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–10

राजकीय कार्मिकों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना **SGHS** का विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु अंगीकृत करने का प्रस्ताव।

प्रस्तावः– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1256(1)/XXVVIII(3)21-04/2008T.C. तद्दिनांक 25 नवम्बर 2021 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अन्तर्गत समस्त प्रकार के रोगों की चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने एवं आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अम्ब्रेला योजना से पृथक करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों को समस्त प्रकार के रोगों के उपचार हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु अंगीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव कार्यपरिषद् के मा0 सदस्यों के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय :–11.10 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों हेतु प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु : 11–11

विश्वविद्यालय के घटतें वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत भविष्य में राज्य के विभिन्न स्ववित्त पोषित/संघटक इंजीनियरिंग संस्थानों को भविष्य में विश्वविद्यालय से अनुदानं न दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में विभिन्न स्ववित्त पोषित/संघटक इंजीनियरिंग संस्थानों हेतु अपनी आय से भवन, फर्नीचर, लैब आदि हेतु लगभग 82 करोड़ का अनुदान दिया गया। प्रदेश में

विभिन्न डीम्ड/प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों की संख्या कम होने तथा छात्र संख्या कम होने आदि कारणों से विश्वविद्यालय की आय में अत्यन्त कमी आयी है।

सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को कोई भी अनुदान नही दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा भविष्य में परीक्षा भवन बननें तथा अनुसंकायों को खोलने के दृष्टिगत एकेडमिक भवन बननें एवं विश्वविद्यालय में इनोवेशन केन्द्र आदि की स्थापना में धनराशि व्यय होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय वर्तमान स्थिति में राज्य के विभिन्न स्ववित्त पोषित/संघटक इंजीनियरिंग संस्थानों को भविष्य में कोई अनुदान दिये जाने की स्थिति में नही है। अतः उक्तानुसार प्रस्ताव कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.11 कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन दिया गया एवं यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा शासन द्वारा वेतन भत्ते आदि के लिए अनुदान दिये जाने हेतु प्रयास किये जाए एवं भविष्य में विश्वविद्यालय अपनी आर्थिक स्थिति के सुदृढ होने पर ही पुनः संस्थानों में सहयोग के लिए विचार कर सकता है।

अन्य ऐजेण्डा बिन्दुः– 11–12

(अ)–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में विश्वविद्यालय के अपने परिसर में अगले सत्र से एम0बी0ए0 (नियमित/पार्ट टाईम/सांय कालिन), एल0एल0बी0 (नियमित/सांय कालिन) तथा बी0 फार्म (नियमित) चलाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

औचित्य–

विभिन्न सरकारी संस्थानों, सचिवालय, उधोगों तथा विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों व अधिकारियों के एम0बी0ए0 तथा एल0एल0बी0 के प्रशिक्षण की बहुत मांग तथा सम्भावनों के दृष्टिगत सम्बन्धित पाठ्यकमों हेतु उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में एम0फार्म0 संचालित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा तकनीकी संस्थाओं में **मल्टीडिसिप्लेनरी एजुकेशन, रिसर्च एण्ड इनोवेशन एण्ड टैक्निकल एजुकेशन** के प्रस्तावित परियोजना के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के साथ–साथ अन्य पाठ्यकम प्रस्तावित किये जा रहें है।

विनिश्चय :–11.12(अ) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार पाठयकमों के संचालन तथा संबंधित पाठयकमों हेतु विश्वविद्यालय स्तर से भूमि, भवन, साज–सज्जा एवं फैकल्टी की नियमानुसार उचित व्यवस्था, संबंधित पाठयृकमों के नियामक संस्थाओं के अनुरूप किये जाने अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त संबंधित पाठयकमों के संकाय, भवनों के निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा एम0बी0ए0, एल0एल0बी0 एवं बी0फार्मा0पाठयकमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय को अपने स्तर से संबंधित नियामकों (एआईसीटीई/बीसीआई/पीसीआई) के अनुसार भूमि आंवटित करने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित पाठयकमों से संबंधित पाठयकमों जैसे आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्सी में एम0टेक0 एवं अन्य पाठयकमों को विश्वविद्यालय में संचालित करने हेतु सुझाव दिये गये।

(ब)–तकनीकी के नये क्षेत्र आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्सी में कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आर्टपार्क (आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्स एण्ड रोबोटिक्स टैक्नोलॉजी पार्क, बंगलोर) के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया है। कार्यपरिषद् द्वारा कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत तथा भविष्य में समय–समय पर इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यो हेतु वित्त समिति के अनुमोदन से नियमानुसार विभिन्न व्ययों हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.12(ब) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा संबंधित कार्य हेतु अन्य आवश्यक निर्णय लेने के लिए मा0 कुलपति को अधिकृत किया गया ।

(स)–रक्षा क्षेत्र में प्रदेश की संलिप्ता एवं अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत रक्षा क्षेत्र की विभिन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण एवं रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्मिकों को इमरजिंग तकनीकी से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अथक प्रयास से आर्मी डिजाईन ब्युरो के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। कार्यपरिषद् द्वारा कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत तथा भविष्य में समय–समय पर इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यो हेतु वित्त समिति के अनुमोदन से नियमानुसार विभिन्न व्ययों हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.12(स) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(द)–विश्वविद्यालय की आय के सोत्रो को बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय में रोजगार–परक सार्टिफिकेट कोर्सिस के संचालन हेतु कार्यपरिषद् से प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.12(द) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(य)–विश्वविद्यालय द्वारा डिफेन्स टेस्टींग इन्फरास्ट्रचर स्कीम (डी0टी0आई0एस0) के अन्तर्गत कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में अन्य स्टेकहोल्र्डस निविदा में प्रतिभाग किया गया है। निविदा प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित परियोजना में नियमानुसार कार्य किया जायेगा, इससे विश्वविद्यालय की आय की वृद्धि के साथ–साथ, विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बन्धित संस्थानों के कार्मिकों, छात्र–छात्राओं को कार्य करने का तथा अपनी कौशलता विकास करने का अवसर प्रदान होगा। कार्यपरिषद् द्वारा कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत तथा भविष्य में समय–समय पर इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यो हेतु वित्त समिति के अनुमोदन से नियमानुसार विभिन्न व्ययों हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–11.12(य) कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

(र)–मा0 कुलपति महोदय के अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा।

1– निदेशक, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नई टिहरी के अनुरोध के क्रम में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नई टिहरी में 02 वर्षीय एम0एच0एम0 पाठ्यक्रम को एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत मा0 सदस्यों द्वारा संचालित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2–आगामी शैक्षिक सत्र से प्रतिवर्ष 'वीर माधो सिंह भण्डारी स्मृति व्याख्यान' का आयोजन शुरू किये जाने हेतु मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन दिया गया।

3— आगामी दीक्षांत समारोह से बी0टैक0 में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र—छात्रा को **"वीर माधो सिंह भण्डारी स्वर्ण पदक"** दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

4—विश्वविद्यालय के द्वारा वीर माधो सिंह भण्डारी के नाम से मेधावी छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा संस्थानों के द्वारा उनके संस्थापक/अतिविशिष्ट/सम्मानित सदस्यों के नाम से छात्रवृत्ति दिये जाने का अनुमोदन दिया गया।

5— निदेशक डॉ ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर के अनुरोध के कम में विश्वविद्यालय के संघटक संस्थान के डॉ ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर में सत्र 2022—23 से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नए पाठयकम B.Tech in Robotics and Automation (प्रवेश क्षमता—60) एवं B.Tech in Artificial Intelligence & Machine Learning (प्रवेश क्षमता—60) को नियमानुसार संचालित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(वेदी राम)
अपर सचिव
तकनीकी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव
उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव
न्याय
उत्तराखण्ड शासन

(संजय टोलिया)
संयुक्त सचिव
वित्त
उत्तराखण्ड शासन

(सुनील सिंह)
अनुसचिव
चिकित्सा शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(अमित अग्रवाल)
निदेशक,
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इस्टी0 टे0 टनकपुर

(यशपाल सिंह नेगी)
निदेशक
स्टेट होटल मैनेजमैन्ट नई टिहरी,

(आर0पी0गुप्ता)
कुलसचिव

(डॉ0 पी0पी0ध्यानी)
कुलपति

संलग्नक - 02

दिनांक 02.09.2022 को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की सम्पन्न हुई "विद्या परिषद्" की 12 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 02.09.2022 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय, देहरादून के कॉन्फ्रेन्स हाल में विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 12 वीं बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नॉकित मा0 सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहे।

(1) कुलपति, वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	–अध्यक्ष
(ख) विश्वविद्यालय के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्यपरिषद् के सदस्य न हो:	
(2) डॉ0 आर0पी0एस0 गंगवार, निदेशक डब्लू.आई.टी.।	–सदस्य
(3) डॉ0 सतेन्द्र सिंह, निदेशक,बी0टी0के0आई0टी0 द्वाराहाट ।	–सदस्य
(4) डॉ हरप्रीत सिंह ग्रेवाल निदेशक,डी.बी.एस. कालेज देहरादून।	–सदस्य
(5) डॉ0 अमित बन्सल, निदेशक जे.बी.आई.टी कालेज देहरादून।	–सदस्य
(6) डॉ0 अभय कुमार शर्मा, निदेशक बी.आई.एस भीमताल ।	–सदस्य
(घ) गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष।	
(7) डॉ0 अलक नन्दा अशोक, डीन कालेज ऑफ टेक्नॉलोजी पन्तनगर	–सदस्य
(ड) कुलसचिव वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	–पदेन सचिव
(अ) परीक्षा नियंत्रक, वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	– आंमत्रित सदस्य
(ब) वित्त नियंत्रक, वीर माधो सिंह उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	– आंमत्रित सदस्य
(स) श्री सुनील कुमार , परीक्षा विभाग।	– आंमत्रित सदस्य
(द) डॉ0 विशाल रमोला,फैकल्टी ऑफ टेक्नालोजी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	– आंमत्रित सदस्य

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व कुलसचिव द्वारा विद्या परिषद् के नामित सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक, गतिविधियों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का कियान्वयन इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारभ करने एवं तदनुसार विभिन्न पाठयकमों हेतु आर्डिनेन्श तथा पाठयचर्या में किये गये संशोधन एवं उससे इंजीनियरिंग स्नातकों को प्राप्त होने वाले लाभ तथा रोजगार के अवसरो में बृद्धि इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला । तदोपरान्त कुलसचिव द्वारा मा0 सदस्यों के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

बिन्दु सं0–12.01

(क) विद्या परिषद् की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया । (संलग्नक-01)।

(ख) विद्या परिषद की दिनांक 30–04–2022 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना दी गयी। कृत कार्यवाही पर मा0 सदस्यों द्वारा सतोष व्यक्त किया गया ।

<u>बिन्दु संख्या:–12.02</u>

शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु आयोजित काउसिलिंग 2022 के माध्यम से प्रवेश इत्यादि की स्थिति से माननीय सदस्यों के अवगतनार्थ।

प्रस्ताव:– (क) **B Tech 2nd Year (Lateral Entry), B Pharma Ist & 2nd Year (Lateral Entry) BHMCT, M.Tech, M.Pharm, MBA, MCA, BA.LLB, BBA.LLB, LLB, LLM PHARM.D.** में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की गयी:–

Counselling Phase	Period of Counselling Fee Deposition, Online registration and Choice filling	Seat Allotment Date	Date of Reporting in Allotted institutions by the candidate's
प्रथम चरण	12 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022 तक	19 अगस्त 2022	22 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2022
द्वितीय चरण	26 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2022 तक	29 अगस्त 2022	30 अगस्त 2022 से 02 सितम्बर 2022 त
SPOT Counseling दिनांक 3 सितम्बर 2022 से दिनांक 13 सितम्बर 2022 के मध्य संस्था द्वारा निर्धारित तिथि पर			

सीट आंवटन :–

SN	COURSE	INTAKE FOR COUNSELING			FIRST ROUND				SECOND ROUND			
						ALLOTTED				ALLOTTED		
		GOVT	PVT	TOTAL	FILL CHOICE	GOVT	PVT	TOTAL	FILL CHOICE	GOVT	PVT	TOTAL
1	B.TECH 2ND YEAR	1311	1865	3176	620	433	47	480	381	135	82	217
2	B.PHARM 2ND YEAR	0	134	134	16	0	16	16	15	0	7	7
3	B.PHARM IST YEAR	0	1136	1136	41	0	41	41	7	0	15	15
4	BHMCT IST YEAR	190	171	361	107	73	2	75	46	22	2	24
5	MTECH IST YEAR	325	196	521	19	18	1	19	8	7	1	8
6	MPHARM IST YEAR	12	189	201	5	4	1	5	3	2	1	3
7	MBA IST YEAR	120	1615	1735	0	0	0	0	1	1	0	1
8	MCA IST YEAR	90	169	259	14	12	2	14	10	8	1	9
9	PHARM D IST YEAR	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BALLB/BBALLB IST YEAR	0	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LLB IST YEAR	0	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0
12	LLM IST YEAR	0	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2048	7218	9266	822	540	110	650	471	175	109	284

(ख) बी0टेक0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी एन0आई0सी0 के सहयोग से ऑनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है:–

Counselling Phase	Period of Counselling Fee Deposition, Online registration and Choice filling	Seat Allotment Date	Date of Reporting in Allotted institutions by candidate's
प्रथम चरण	5 सितम्बर 2022 से 8 सितम्बर 2022 तक	12 सितम्बर 2022	13 सितम्बर 2022 से 17 सितम्बर 2022 तक
द्वितीय चरण	20 सितम्बर 2022 से 23 सितम्बर 2022 तक	27 सितम्बर 2022	28 सितम्बर 2022 से 01 अक्टूबर 2022 तक
SPOT Counseling दिनांक 3 अक्टूबर 2022 से दिनांक 13 अक्टूबर 2022 के मध्य संस्था द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रस्तावित			

विनिश्चय :–12.02 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रवेश हेतु की गयी कार्यवाही तथा बी0टेक0 पाठयक्रमों की आगामी प्रस्तावित ऑन लाइन काउसिंलिंग तथा अन्य सभी पाठयक्रमों हेतु स्पोर्ट काउसिंलिंग के प्रस्तावित समय सारणी का संज्ञान लेते हुए कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं प्रवेश बढाने हेतु डिजिटल माध्यमों से अधिकतम प्रचार–प्रसार करने हेतु सुझाव दिए गये।

<u>बिन्दु संख्याः–12.03</u>

सम सेमेस्टर परीक्षा 2022 के परिणामों एवं शैक्षणिक कैलेंडर की सूचना।

प्रस्तावः– सम–सेमेस्टर परीक्षा–2022 का सफल आयोजन माह जून –जुलाई 2022 के मध्य समस्त संस्थानों में किया गया। सम–समेस्टर परीक्षाओं का परीक्षाफल माह अगस्त 2022 में घोषित कर समस्त संस्थानों को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसका विवरण पटल पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत है साथ ही शैक्षणिक कैलेंडर 2022–23 अवगतनार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–12.03 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों को परीक्षा नियंत्रक द्वारा अद्यतन घोषित परीक्षाफलों के बार में अवगत कराया गया मा0 सदस्यों द्वारा बैक पेपर इत्यादि के अवशेष परीक्षा परिणामों को अतिशीघ्र घोषित करने के साथ–साथ, सीमित संसाधनों के बीच विश्वविद्यालय द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करने के पूर्व छात्रों के परीक्षा परिणामों को समय से घोषित करने के लिए मा0 कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय की टीम को उनके प्रयासों हेतु सराहना की गयी। बैठक में अवगत कराया गया कि शैक्षणिक कलैण्डर के अनुसार गतिविधिया प्रारम्भ कर दी गयी है जिसका मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। डॉ अलकनन्दा अशोक द्वारा संबंधित बिन्दु पर द्वितीय काउसिंलिंग/स्पोर्ट काउसिंलिंग से प्रवेशित छात्रों की छूटी हुई पाठयचर्या के पृच्छा के कम कुल सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सभी संस्थानों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि इस प्रकार से प्रवेशित छात्र–छात्राओं की पाठयचर्या अतिरिक्त कक्षाएं लेकर पूर्ण की जाए जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

<u>बिन्दु संख्याः–12.04</u>

शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु विभिन्न संस्थाओं के संबद्धता की स्थिति मा0 सदस्यों को अवगतनार्थ एवं परिचर्चा।

प्रस्ताव– शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु विभिन्न संस्थाओं के सम्बद्धता हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये गये। आवेदन दिनांक <u>15–07–2022</u> से दिनांक

19–08–2022 के मध्य आमंत्रित किये गये। अंतिम तिथि तक **63** संस्थानों द्वारा पोर्टल पर डेटा अपलोड किया गया। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों सम्बद्धता विषयक समय–सारिणी को माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्या द्वारा 18 अगस्त 2022 को जारी किया गया है तद्नुसार संलग्न समय–सा का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–

विनिश्चय :–12.04 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों के द्वारा संबद्धता हेतु ऑन लाईन कार्यवाही के क्रम में विश्वविद्यालय की सराहना व्यक्त की गयी डॉ अलकनन्दा अशोक द्वारा सुझाव दिया गया कि संबद्धता निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण समिति के सदस्यों के नामों में परिवर्तन समिति के पूर्व निर्धारित सदस्यों के न आने के संबंध में लिखित सूचना/दूरभाष सूचना प्राप्त होने पर ही किया जाए इस संबंध में पूर्व में भी विश्वविद्यालय की यही प्रकिया अपनायी जाती रही है तथा भविष्य में भी मा0 सदस्या के सुझाव पर अमल किया जायेगा जिस पर सभी मा0 सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या:–12.05

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कियान्वयन एवं च्वाइंस बेस्ड केडिट सिस्टम ला करने के लिए विभिन्न पाठयक्रमों के आर्डिनेन्स हेतु संशोधन किये जाने पर चच एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव– विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शैक्षणिक सत्र 2022–23 से पाठ्यक्रमों में लागू करने के उद्देश्य से समस्त पाठ्यक्रमों के आर्डिनेन्सों को संशोधित कर लिया गया है। संशोधित आर्डिनेन्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के अनुसार तैयार किये गये हैं एवं आर्डिनेन्सों में निम्नवत उद्देश्यों का विशेष ध्यान रखा गया है:–

- आर्डिनेन्स में उद्योगों की मांग के अनुरूप पाठयचर्या रोजगारपरक बनाये जाने हेतु आवश्यक शंशोधन किया गया है।
- आर्डिनेन्स में Choice Based Credit System (CBCS) का समावेश किया गया है।
- आर्डिनेन्स में Major & Minor विषयों को रखा गया है। जिससे छात्र–छात्राओं को अपने कोर्स/पाठयक्रमो के साथ–साथ अन्य विषयों की भी जानकारी अर्जित हो सके एवं उनके रोजगार के अवसर में वृद्धि हो।

- आर्डिनेन्स में प्रत्येक सेमेस्टर में Slow Learner व Fast Learner हेतु Minimum Credit & Maximum Credit Points को भी निर्धारित किया गया है। जैसे **B.Tech** में एक छात्र एक सेमेस्टर में न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 26 Credit Points को अर्जित कर सकता है। इस प्रकार छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा भी होगी एवं किसी भी कक्षा में Slow Learner & Fast Learner को अपनी क्षमतानुसार पाठ्यक्रम के अध्ययन का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।
- एम0टेक0 पाठ्यक्रम 2 वर्षों का है किन्तु बी0टेक में आवश्यक Credit Points अर्जित करने पर निर्धारित प्रतिबंधो के अन्तर्गत छात्र को एक वर्ष में ही एम0टेक की डिग्री प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है।
- सभी पाठयक्रमों के सुचारू संचालन एवं छात्रों के अध्ययन–अध्यापन के पर्यवेक्षण हेतु Course Committee एवं Class Committee का गठन किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रमों में संशोधित आर्डिनेन्स के कतिपय मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:–

➢ इंजीनियरिंग (Engineering) पाठ्यक्रम

1. Students may opt MOOCs Courses up to maximum 20 credits.
2. Flexibility in promotion policies.
3. Summer Semester System.
4. Multidisciplinary System.
5. Exit System after 2nd Year.
6. Up-gradation in award & ranks added overall topper-chancellor gold medal.
7. ERP Based system on Registration/enrollment and Academic Progression System.
8. Options for adding and dropping courses.
9. Multidisciplinary -Option for opting courses in a particular semester limited to maximum 2 additional courses.

➢ विधि (Law) पाठ्यक्रम

1. Introducing optional Minor Subject group for B.A.LL.B/B.B.A, LL.B and LL.B. There are 5 groups having 5 subjects which can be opted from the second year of the course.
2. Introducing Six more new specialization groups for LL.M
3. Introducing a new evaluation scheme for LL.M Dissertation. Now dissertation can be evaluated only after the publication/ communication/presentation of a

research paper based on the dissertationin UGC CARE/SCOPUS indexe journal and a soft copy of the dissertation will be submitted to the University.

4. Introducing uniformity in subject contents. All contents of the subjects hav been divided into 5 Module and allotted Lecture Hours as per the requireme of Credits of the Subjects
5. Introducing an amendment to the evaluation scheme for the clinical cours (Professional Ethics, ADR, Drafting Pleading etc) 50 per cent theory and 5 per cent practical training-based evaluation followed by viva voce.
6. Introducing new contents in the syllabus based on the latest legislation i Consumer Protection Act 2019, Muslim Woman (Protection of Right o Marriage) Act 2019, Juvenile Justice (Amendment) Act, 2021, Motor Vehicl (Amendment) Act, 2019 etc.
7. Introducing internal optional subjects for LL.B course ie there will be an optio to opt for Legal and Constitutional History or Law of Taxation in the Secon semester. There will be another option provided for last semester also.

➢ फार्मेसी (Pharmacy) पाठ्यक्रम

1. University has adopted the regulations and syllabus of Pharmacy council c India in the Pharmacy programs B.Pharm, M.Pharm and Pharm.D.
2. Few Non-Credit Pharmacy Certificate Courses are added in B.Pharm 4th yea (7th and 8th Semester) to provide industrial training to the students in th Pharmaceutical Industries and sharpen their skills from industrial point of viev which are as follows:

   >>Pharmaceutical Management
   >>Pharmaceutical Quality Control
   >>Drug Regulatory Affairs
3. The duration of training is of complete one year in the industry.

➢ प्रबन्धन (MBA) पाठ्यक्रम

1. The MBA curriculum has been converted to allotted credit & cumulative credi based for full time, part time and integrated MBA Programmes.
2. The student is allowed to go to next semester by completing the credits allotte for that semester.
3. Exit policy at the end of one year is now allowed to the student & universit will provide them a Post Graduate Certificate in Management (PGCM).
4. New Subjects have been introduced as per need of present and future.

➢ होटल प्रबन्धन (BHMCT/MHM) पाठ्यक्रम

1. The Syllabus of 04 year UG course BHMCT (Bachelor of Hot Management & Catering Technology) & BHM(Bachelor of Ho Management) and 02 year PG course MHM (Master of Hotel Managemen is designed while considering National Education Policy- 2020.
2. The curriculum structure of 04 year UG course is having Total of 188 credi and for 02 year PG course MHM (Masters of Hotel Management is havin total of 84 credits.
3. There is provision of Industrial Exposure in UG course in Fourth and Eigl semester and for MHM it is given in 4th semester to make student skillful i particular department.
4. There is a provision of compulsory one week Industrial Visit in the first yea of UG course as well as PG course as the part of Student Inductio Programme.
5. Minor degree in Travel and Tourism along with 04 year undergraduat programme which would be of total 18 credits (3 credit course in eacl semester except 4th and 8th semester which is devoted for Industria exposure).
6. Student can take lateral entry in the second year of MHM after completin the bridge course of 20 credit which is given in the 8th semester of UC Course given in the ordinance.

उपरोक्तानुसार इंगित मुख्य संशोधनो के साथ समस्त पाठयक्रमों के नये आर्डिनेन्स माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :–12.05 मा0 कुलपति महोदय द्वारा अर्डिनेन्स में किये गये संशोधनों बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। तद्नुसार व्यापक विचार बिमर्श करते हुए मा0 सदस्यों द्वारा विभिन्न पाठयक्रमों के अर्डिनेन्श में किये गये संशोधनों पर अपना अनुमोदन प्रदान किया गया। Multidisciplinary प्रकिया के बारे में मा0 सदस्यों द्वारा की गयी पृच्छा के बारे में अवगत कराया गया कि अर्डिनेन्स में Multidisciplinary की व्यवस्था Inter Disciplinary विषयों के अध्यापन की सुविधा देने के माध्यम से की गयी है एवं प्रत्येक प्रोग्राम हेतु eligibility criteria संबधित नियामक संस्थाओं के अनुसार ही रखा गया है जिस पर सभी मा0 सदस्यों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्याः—12.06

संशोधित ऑडिनेन्स के अनुसार विभिन्न पाठयक्रमों हेतु बी0ओ0एस0 **(B.O.S.)** द्व प्रस्तावित नवीन पाठयचर्या का अनुमोदन।

प्रस्ताव— संशोधित आर्डिनेन्स के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु नियमानुसार **Board of Studi** **(B.O.S.)** का गठन कर **(BOS)** द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2022 से दिनांक 31 अग 2022 के मध्य बैठके आयोजित कर नये पाठयक्रमों को प्रथम वर्ष हेतु तैयार किया गया जो कि पटल पर प्रस्तुत है। जिसकी प्रतियाँ सम्मानित सदस्यो के समक्ष विचारार्थ ए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। शेष वर्षो के लिये प्रभावी किये जाने वाले विषयों के पाठयक्रम आ वाले समय में तैयार किया जायेगा।

विनिश्चय :—12.06 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा संशोधित ऑडिनेन्स के अनुसार विभिन्न पाठयक्रमों हेतु बी0ओ0एस0 **(B.O.S.)** द्वारा तैयार की गयी नवीन पाठयचर्या का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः—12.07

ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2022—23 से निम्न एम0बी0ए0 पाठयक्रमों को संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन प्राप्त हुआ है के सम्बंध में माननीय सदस्यों के अवगतनार्थ। तथा इन पाठयक्रमो के संचालन हेतु फैक्लटी के रखने उनके मानदेय तथा फैक्लटी के चयन हेतु स्क्रनिंग समिति एवं चयन समिति के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः— 05 मई 2022 को कार्य परिषद् की 11वीं बैठक में विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले निम्न MBA पाठयक्रमों के संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त हो चुका है एवं विश्वविद्यालय स्तर पर भूमि,भवन, साज—सज्जा फैक्लटी आदि की नियमानुसार व्यवस्था करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के क्रम में वर्तमान सत्र में एम0बी0ए0 पाठयक्रम संचालन एवं प्रारम्भ में क्रमांक 01 पर अंकित पाठयक्रम हेतु (02शैक्षिक स्टाफ)01 असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं 01एसोसिएट प्रोफेसर एवं क्रमांक 03 पर अंकित विषय हेतु (02शैक्षिक स्टाफ)01 असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं 01एसोसिएट प्रोफेसर स्टाफ रखने हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के नियमानुसार चयन समिति के माध्यम से संविदा के आधार पर रू0—35,000—00 हजार अस्सिटेन्ट प्रोफेसर तथा रू0—50,000—00 हजार एसोसिएट प्रोफेसर को रखे जाने तथा वार्षिक आधार पर 50,000—00 हजार एम0बी0ए0 रेगुलर एवं 50,000—00 एम0बी0ए0 पार्ट टाईम के शिक्षण शुल्क निर्धारण हेतु अनुमोदन।

S.No	MBA Course	Intake	Regular/Part Time
1	Finance Marketing &Human Resource Management	60	Regular
2	Finance Marketing &Human Resource Management	30	Part time
3	Digital Marketing	60	Regular

विनिश्चय :–12.07 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के सापेक्ष एम0बी0ए0 पाठयक्रमों संचालन एवं तद्नुसार प्रत्येक पाठयक्रम हेतु एक– एक असिस्टेन्ट प्रोफेसर एक–एक एसोसिएट प्रोफेसरों को संविदा पर रखे जाने हेतु असिस्टेन्ट प्रोफेसर को रू 35000 हजार मानदेय एवं एसोसिएट प्रोफेसरों रू0 50000 हजार मानदेय प्रतिमाह प्रदान करने के अतिरिक्त एम0बी0ए0 रेगुलर एम0बी0ए0 पार्ट टाईम हेतु प्रस्तावित रू.50,000.00 हजार वर्षिक शिक्षण शुल्क निर्धारण करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्याः–12.08</u>

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो को ऑन–लाईन करने हेतु ई0आर0पी0 यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम निर्माण हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन, सम्बद्धता, शैक्षणिक प्रबन्धन ई–गवर्नेस, कार्यालयी प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग, मा0न्यायालयों में वाद पर कार्यवाही, वित्तीय प्रबन्धन एव छात्रों के पंजीकरण, **Choice Based Credit** प्रणाली लागू करना,उपस्थिति का संग्रहीकरण,शिक्षकों क **Data base,** परीक्षा फार्म, परीक्षा केन्द्रो का नियंत्रण **On screen** डिजिटल मूल्यांकन, कॉलेज लॉगइन, छात्र लॉगइन, शिक्षक लॉगइन, विश्वविद्यालय लॉगइन, डिजिटल स्वरूप में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा निर्माण से पूर्व संबंधित छात्रों को डिजिटल स्वरूप में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा निर्माण से पूर्व संबंधित छात्रों को डिजिटल स्वरूप में अवलोकित कराये जाने की व्यवस्था, **Digitally Encrypted** स्वरूप में प्रश्न पत्रों का परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषण, ऑनलाइन परीक्षार्थियों की उपस्थिति का संग्रहीकरण, परीक्षाफल निर्माण, परीक्षाफल की घोषणा, छात्रों हेतु **Help Desk** की सुविधा, ऑनलाइन मार्कसीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, डिग्री प्रिंटिंग जैसी सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक व परीक्षा संबंधी दायित्वों का समग्रता से डिजिटलीकरण करने की नितान्त आवश्यकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा सभी गतिविधियों के सुचारू व समयबद्ध निष्पादन हेतु ई0आर0पी0 प्रणाली स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों व संस्थानों से संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता व गुणवत्ता का समावेश किया जा सके। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समग्र रूप से **''यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम''**बनाये जाने से आगामी परीक्षाओं, परीक्षाफलों व परीक्षा संबंधी अभिलेखों का त्वरित व प्रभावी सम्पादन हो सकेगा। अतः प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण हेतु समग्रता से तैयार ई0आर0पी0यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

विनिश्चय :–12.08 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित ई0आर0पी0 कार्य करने के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा समग्र रूप से **"यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम"** बनाये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 सदस्यों द्वारा ई0आर0पी0 में Parents input से Related Module भी समिल्लित किये जाने पर अपने सुझाव दिए गये।

बिन्दु संख्या:–12.09

विश्वविद्यालय में पंजीकृत छात्रों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान देने हेतु अध्यापन कराये जाने का प्रस्ता विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने हेतु ऐसा महसूस किया गर है कि यदि तकनीकी छात्रों को कतिपय विदेशी भाषाओं यथा–फ्रेंच, जर्मनी, जापानी, स्पेनीज व चाइनीर में से किसी एक अथवा कई का वांछित ज्ञान दिया जायेगा तो उनके रोजगार के नये अवसर उपलब हो सकेंगें।

अतः विश्वविद्यालय में पंजीकृत छात्रों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिलाये जाने हेतु इ भाषाओं के अध्यापन कराने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों से **Online Language Proficienc Certification** हेतु कार्यवाही सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है।

माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

विनिश्चय :–12.09 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या:–12.10

शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु पी0एच0डी0 प्रवेश एवं परीक्षा हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव:– सत्र 2022–23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु पी0एच0डी0 आर्डिनेन्स 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय एवं उसके संबद्ध संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर व असिस्टेन्ट प्रोफेसर के मार्गदर्शन में यू0जी0सी के नॉर्मस के अनुसार निर्धारित रिक्त सीटों शोध पर्यवेक्षकों की अर्हता एवं **Identified Problems** में शोध छात्रों द्वारा पी0एच0डी0 कराये जाने के सम्बंध में दिनांक 07–07–2022 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में पी0एच0डी0 प्रवेश परीक्षा आयोजित करने एवं आनलाईन आवेदन प्राप्त करने आदि हेतु सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय में उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त की सूचना के आधार पर निश्चित पी0एच0डी0 सीटों की संख्या पर प्रवेश हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–12.10 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी एवं की जा रही कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

संलग्नक–03

बिन्दु संख्याः—12.11

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न पाठयक्र का संचालन हेतु MOU निस्पादन किये जाने हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः— विश्वविद्यालय तथा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी द्वारा सामयिक आवश्यकता के अनुरूप निम्नानुसार आपसी सहयोग करार कर साझा गतिविधियॉ संचालित करना प्रस्तावित है।

For Sharing common desire to extend and strengthen the function relationship between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical Universit Dehradun and Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi.MOU is to be sign betwee these two organizations .

The purpose of this MOU is to foster collaboration, on the developmen of mountaineering and geographical information system in India and to facilitat advancement of knowledge on basis of reciprocity, best effort, mutual benefit an frequent interaction , UTU and NIM.

The MOU is proposed to cover the following activities.

a. To establish a close linkage and functional coordination between UTU and NIM

b. Exchange of information on research, training, learning materials

c. Joint organization of the symposium, seminars, conferences, workshops and short term containing education programs on topics of mutual interest.

d. Joint proposal and engagement in research or training programs.

e. Running 01 year PG Diploma in Mountaineering and Adventure Technology.

MOU तथा प्रस्तावित PG Diploma ड्राफ्ट माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है। उपरोक्त संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी तथा विश्वविद्यालय के साथ MOU आवश्यकतानुसार परिमार्जन करते हुये सम्पादित करने की कार्यवाही विचारार्थ एव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक—04

विनिश्चय :—12.11 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय की पहल का स्वागत करते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः—12.12

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के Alumni Cell के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः— विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानो से उत्तीर्ण छात्र छात्रायें वर्तमान में देश वि की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानो में कार्यरत है कई छात्र छात्रायें अपना उद्योग स्वयं से संचालित कर प्र एवं देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। अतः उनके अनुभवों को संचित क हुए नई आवश्यकताओं के क्रम में पठन पाठन को सुदृढ करने इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय Alumni Cell के गठन करने का प्रस्ताव है तथा इस सम्बन्ध में UTU Alumni Association Regulation का ड्राफ्ट प्रस्ताव भी विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संलग्नक—

विनिश्चय :—12.12 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में एक एल्यूमिनी सेल के गठन एवं इस संबंध में प्रस्तुत UTU Alumni Association Regulation पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्याः—12.13</u>

ट्रेनिंग एडं प्लेसमेंट सेल (Training and Placement Cell) के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः— रोजगार को बढावा देने के उददेश्य से समस्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एडं प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है। साथ ही सभी संबद्ध संस्थानों के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को एक पोर्टल डिजिटल एप के माध्यम से जोडा जायेगा। तदअनुसार पोर्टल व एप के निर्माण कराने हेतु भविष्य में कार्यवाही किये जाने तथा सैल के गठन की सूचना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :—12.13 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा Training and Placement Cell के गठन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। तथा रोजगार की महत्ता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार सभी संबंद्ध संस्थानों से इस संबंध में वित्तीय सहयोग लेने हेतु भी अपने सुझाव दिए।

<u>बिन्दु संख्याः—12.14</u>

IQAC (Internal Quality Assurance Cell) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन तथा इसी प्रकार के प्रकोष्ठ सभी संबद्ध संस्थानों में गठित कराने हेतु अनुमोदन।

प्रस्तावः— यू0जी0सी0द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में समस्त संस्थानों की गुणवत्ता के स्तर के सुधार के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर Internal Quality Assurance Cell का गठन निम्नवत् किया जाना प्रस्तावित है:—

- **<u>संरचना</u>**

1. विश्वविद्यालय के कुलपति —अध्यक्ष
2. 08 वरिष्ठ शिक्षक एवं 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य
3. मैनेजमेंट / उद्योग / स्थानिय स्तर के 03 बाहय विशेषज्ञ —सदस्य
4. निदेशक IQAC —पदेन सदस्य

- **उद्देश्य**

1—विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रदर्शन में सुधार के लिए जागरूक, सुसंगत कार्यवाही के लिए एक गुणवत्ता प्रणाली (Quality System) विकसित करना।

2— Quality Culture एवं Institutional Best Practices के माध्यम से गुणवत्ता वृद्धि (Quality Enhancement) की दिशा में कार्य करना।

- **कार्य प्रणाली**

1—छात्र / अभिभावकों / प्रबंधन से गुणवत्ता संबंधी Feedback प्राप्त करना।
2— Quality Assurance Body (NAAC, NBA,AB) द्वारा जारी निर्धारित प्रारूपों पर Annual Quality Assurance Report तैयार करना।
उपरोक्त अनुसार माननीय सदस्यों से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
इसी प्रकार NAAC द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी संबद्ध संस्थानों में IQAC गठित कराये जाने एवं भविष्य में इनके NAAC Accrediatation सम्पन्न कराने क प्रस्ताव है।

उपरोक्त विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय :—12.14 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव अनुसार IQAC (Internal Quality Assurance Cell) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या:—12.15

जी0बी0पी0ई0सी0 घुड़दौडी के वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022—23 से विश्वविद्यालय वं नवीन पाठयचर्या के अनुसार पाठयक्रमों के संपादन हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव:— उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के सम्बद्ध संस्थान जी0बी0पी0ई0सी0 पौड़ी के विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में स्वायत्ता प्रदान की गयी है वर्तमान में सम्बद्ध संस्थान द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमं की अलग पाठ्यचर्या एवं परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली भी अपने ढंग से प्रयुक्त की जा रही है। विश्वविद्यालर का यह स्पष्ट मत है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों कं पाठ्यचर्या एवं आर्डिनेन्स आदि में एकरूपता होनी चाहिये जिससे क्रेडिट ट्रॉस्फर आदि में समस्या न हं एवं राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री एवं अंकपत्रों कं सार्थकता एक समान मानी जाए।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा नवीन पाठ्यचर्या एवं नये आर्डिनेन्स तैयार किये गरे हैं अतः जी0बी0पी0ई0सी0 पौड़ी में भी उक्तानुसार एकरूपता लाते हुए पाठ्यचर्या एवं आर्डिनेन्स के

अपनाये जाने हेतु विद्या परिषद से विचारार्थ एवं प्रदत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। पूर्व की भॉति परीक्षा सम्बन्ध कार्य स्वायत्ता के अन्तर्गत संस्थान द्वारा किया जायेगा।

विनिश्चय :–12.15 विद्या परिषद् के सभी माननीय सदस्यों द्वारा एकमत से, यह विचार व्यक्त किया गया कि विभिन्न पाठयक्रमों हेतु विश्वविद्यालय से संबंद्ध सभी संस्थानों के लिए एक ही पाठयचर्या, एक ही मूल्यांकन प्रणाली, एक ही अडिनेन्स एवं सभी नियम समान रूप से सभी के लिए प्रतिबादित एवं स्वीकार होने चाहिए। मा0 सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या:–12.16</u>

विश्वविद्यालय में ई पुस्तकालय (e library)/Digital Library की स्थापना हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव:– विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों हेतु e-library/डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है इससे विश्वविद्यालय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध 91 संस्थानो मे अध्ययनरत लगभग 30,000 हजार छात्र/छात्राये व शिक्षक लाभान्वित होगें। e-library की स्थापना हेतु लगभग 20 लाख रू प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्ताव विद्यापरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–12.16 विद्या परिषद् के मा0 सदस्यों द्वारा e-library/Digital library अनुमोदन प्रदान करने के साथ–साथ विश्वविद्यालय को इस संबंध में सभी संबद्ध संस्थानों से यथा आवश्यक धनराशि का सहयोग लेने हेतु भी अपने सुझाव दिये गये।

<u>बिन्दु संख्या:–12.17</u>

विश्वविद्यालय में Incubation Centre-UTU Incubation Hub (UTU I-HUB) की स्थापना हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव:– विश्वविद्यालय में नवाचार तथा बढ़ाये जाने के दृष्टिगत Incubation Centre के रूप में UTU Incubation Hub स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिस के अन्तर्गत Innovation, Entrepreneurship आदि गतिविधियों को बढावा देने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में स्थापित जनरल बिपिन रावत डिफेन्स टैक्नोलाजी Incubation center, प्रस्तावित ATAL Incubation center आदि को समाहित किया जा सकेगा इससे छात्र/छात्राओं, फैक्ल्टी व किसी अन्य को अपने Innovative Ideas को मूर्त रूप में लाने के अतिरिक्त आत्म निर्भर उत्तरखण्ड तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहायता मिलेगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु गाईड लाईन बनायी गयी है संबंधित गाईड लाईन/रेगुलेशन विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक–06

विनिश्चय :–12.17 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में Incubation Centre स्थापित करने एवं प्रस्तुत UTU-Incubation Hub(UTU-I HUB) की गाइडलाइनस का प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या:–12.18

वर्तमान सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी का संचालन विश्वविद्यालय कैम्पस कालेज के रूप में संचालन हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव–

01. विश्वविद्यालय द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी के संचालन के सम्बंध में प्रस्तुतिकरण निम्नवत है।शासनादेश संख्या 1030/XLI-1/2013-मु0घो0–33/12 दिनांक 23.10.2013 के क्रम म प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटव महाविद्यालय के रूप में सैद्धाकित रूप से स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी प्रश्नगत इंजीनियरिंग संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसा इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सविलि इंजीनियरिंग, एवं इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, पाठ्यक्रमों में 60–60 प्रवेश क्षमता के साथ कुल 300 सीटों की संख्या के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था।

साथ ही प्रश्नगत इंजीनियरिंग,संस्थान के संचालन मे आने वाला आवर्तक व्यय उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से वहन यिकया जायेगा। अवस्थापना सुविधाओं (अनावर्तक व्यय) मे प्रत्येक वर्ष आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में वहन किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

02. उपरोक्त के क्रम में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निर्माण ईकाई नामित किया गया एवं ततक्रम में उक्त योजना हेतु स्वीकृत लागत रू0 2273.88 लाख के सापेक्ष रू0 775.00 लाख शासकीय एवं रू0 800.00 लाख यू0टी0यू0 अंश सहित कुल धनराशि रू0 1575.00 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये गये थे जिसके सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया साथ ही उक्त संस्थान की स्थापना हेतु क्रय की गयी निजी भूमि के लिये विश्वविद्यालय द्वारा भवन निर्माण के अतिरिक्त रू0 140.00 लाख (रू0 एक करोड़ चालीस लाख) की धनराशि भी वहन की गयी है।

03. उक्त संस्थान में वर्तमान में निर्माण की स्थिति निम्न अनुसार है :–

01. ब्लॉक प्रथम पूर्ण (2803 वर्ग मीटर)।
02. ब्लॉक द्वितीय पूर्ण (670 वर्ग मीटर)।
03. ब्लॉक तृतीय 2046 वर्ग मीटर के नींव कार्य कार्य पूर्ण,भूतल, प्रथम तल में एल0जी0एस0एफ0 का कार्य धनाभाव के कार्य बाधित है।
04. ब्लॉक चार (2046 वर्ग मीटर) के नींव कार्य कार्य पूर्ण एवं अन्य कार्य बाधित।
05. ब्लॉक पांच (2475 वर्ग मीटर आर0सी0सी0) अभी आरम्भ नही किया गया है।

मा0 कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में भौतिक निरीक्षण किया गया। भौतिक निरीक्षण मे यह पाया गया कि सम्बन्धित संस्थान में प्रथम ब्लॉक लगभग 2803 वर्ग मीटर तथा ब्लॉक द्वितीय 670 वर्ग मीटर विगत दो तीन वर्षो से निर्माण कार्य पूर्ण है

। संस्थान संचालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित निर्मित भवन में कुछ टूट–फूट हो गयी है जिस
अनुरक्षण कर इन निर्मित भवनों में संस्थान का संचालन किया जा सकता है।

04 :– विश्वविद्यालय के अन्य संघटक संस्थानों का संचालन एवं उनके द्वारा तकनीकी क्षेत्र में वर्तमान
प्रभावी योगदान न होने के अनुभव के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005
संशोधित अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन
किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के आयोजन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्
स्थापित कर सकेगा के व्यवस्था के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी संस्थान
विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में सचांलित किया जाना प्रस्तावित है।

05 :– वर्तमान में कोविड–19 के दृष्टिगत कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में अर
सम्भावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न निजी विश्वविद्यालय एवं अन्य इंजीनियरिंग संस्थान कम्प्यूटर सां
एण्ड इंजीनियरिंग तथा Artificial Intelligence के क्षेत्र में पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

अतः उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय को कैम्पस संस्थान के रूप में प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरक
में वर्तमान सत्र से ही निम्न 02 कोर्स संचालित किये जाने प्रस्तावित है :

01- **B.Tech in Computer Science & Engineering - प्रवेश क्षमता – 180**

02- **B.Tech in Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning**
प्रवेश क्षमता – 60

कैम्पस संस्थान के रूप में संचालन किये जाने पर सम्बन्धित पाठयक्रमों हेतु ए0आई0सी0टी0ई0
अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा उक्त संस्थान को गुणवत्ता पूर्वक संचालि
किया जायेगा। भविष्य मे निर्माण कार्य पूर्ण होने पर औद्योगिक मांग एवं रोजगार की आवश्यकता
दृष्टिगत अन्य पाठयक्रम भी संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित किये जायेगे।

(6) वर्तमान में उक्त संस्थान को संचालन की स्थिति में लाने हेतु फर्नीचर/साज–सज्जा आदि
नियमानुसार अधिप्राप्ति, बिजली/पानी की व्यवस्था करने एवं वेतन भत्तें आदि के भुगतान हेतु तथा
निर्मित भवनों की टूट–फूट को सही करने हेतु लगभग रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र)
आवश्यकता होगी जिसकी प्रतिपूर्ति छात्रों से प्राप्त होने वाली शुल्क से की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप
संचलन करने तथा प्रस्तावित 02 पाठयक्रमों को चलाने व अतिरिक्त संबंधित धनराशि के औचित्यपूर्ण व्य
हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–12.18 विश्वविद्यालय द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान बौन उत्तरकाशी को विश्वविद्याल
कैम्पस कालेज के रूप में संचालन के संबंध में अवगत कराया गया एवं **B.Tech in Computer Science &**
Engineering - प्रवेश क्षमता – 180 B.Tech in Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence
and Machine Learning - प्रवेश क्षमता – 60 के साथ– साथ शासन/सरकार से समन्वय स्थापित करते
हुए उनके सुझाव के अनुसार अन्य पाठ्यक्रम भी जिनकी संबंधित क्षेत्र में ज्यादा मांग हो के अनुसार
वर्तमान सत्र 2022–23 से संचालित किये जाने एवं भविष्य में BBA,BCA,B.Sc (IT) and B.Sc (CS) आदि
पाठयक्रमों के संचालन हेतु विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या:—12.19

विश्वविद्यालय में NBA/NAAC Cell के गठन हेतु अनुमोदन।

प्रस्ताव— विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों में एआईसीटीई के प्राविधानानुसार विभिन्न पाठयक्रमों का 20 तक NBA Accreditation प्राप्त किया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त यू0जी0सी0 एवं अन्य नियाम संस्थानों से विभिन्न अनुदान प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थानों का NAAC/NE accreditation आवश्यकता के क्रम में विश्वविद्यालय में Accreditation Cell का गठन सभी संब संस्थानों को सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किया जाना आवश्यक है। उक्त क्रम विश्वविद्यालय में Accreditation Cell के गठन का प्रस्ताव विद्या परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदना प्रस्तुत है।

विनिश्चय :—12.19 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में Accreditation Cell के गठन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या:—12.20

विभिन्न विशिष्ट तथा सम्मानित सदस्यों के नाम मैधावी छात्र–छात्राओं को मैडल दिए जाने एवं छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु विश्वविद्यालय में एक Endowmen Fund की स्थापना एवं उससे अर्जित ब्याज से Sponsored Medal संस्थित किये जाने पर अनुमोदन।

प्रस्ताव:— विभिन्न संस्थाओं विशिष्ट तथा सम्मानित सदस्यों के नाम से संस्थित मेधावी छात्र–छात्राओ को मैडल दिए जाने एवं छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु विश्वविद्यालय में एक Endowment Fund की स्थापना एवं उसे अर्जित ब्याज से मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा गोल्ड मैडल दिया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु विश्वविद्यालय एवं संबंधितों जिसको Donor कहा जायेगा के मध्य 01 MOU निष्पादित किया जायेगा जिसमें Donor संबंधित कार्यो हेतु Endowment Fund के रूप में 5 लाख रूपये अथवा तद्समय निर्धारित धनराशि विश्वविद्यालय को दिया जायेगा तथा संबंधित Fund के संचालन हेत Endowment Fund Management Committee का गठन किया जायेगा। विद्या परिषद से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्न MOU का प्रारूप तथा संबंधित कार्यो पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक–07

विनिश्चय :—12.20 प्रस्तावित प्रस्ताव पर विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में Sponsored Medal तथा Sponsored Scholorship संस्थित करने एवं इस हेतु प्रस्तुत MOU के ड्राफ्ट पर अनुमोदन प्रदान करने के साथ–साथ निर्धन/अन्य सभी वर्गो हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही योजना एवं इस संबंध में किये जा रहे प्रयासों को कियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय को अपनी अग्रणी भूमिका के निर्वहन के लिए सुझाव दिए गये।

बिन्दु संख्याः—12.21

Graduate exit survey प्रारम्भ करना।

प्रस्तावः— विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध संस्थानों से उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं के फीड बैक प्राप्त करने के में विश्वविद्यालय द्वारा **Graduate exit survey** प्रारम्भ किया गया है तथा प्राप्त सुझावों का नियमानु क्रियान्वयन प्रस्तावित है कृत कार्यवाही अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय :—12.21 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा **Graduate exit survey** किये जाने की कार्यवाही एवं इसके द्वारा प्राप्त फीडबैक के अनुसार आगामी कार्ययोजना तैयार करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः—12.22

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के गुणात्मक सुधार हेतु फीड बैक प्रणा स्थापित करने का अनुमोदन।

प्रस्ताव— विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यों में उत्कृष्टता एवं पारदर्शिता लाने के क्रम फीड बैक प्रणाली स्थापित करने के उददेश्य से **Parent Feedback Form Employer/Recruiter Survey Feedback Form, Teacher's Feed Bac Form, Parent Feedback on curriculum, Feedback form fo Teacher Evaluation by student,** आदि तैयार किये गये हैं। संबंधि **Feedback Forms** के प्रारूप विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

संलग्नक—08 से 12

विनिश्चय :—12.22 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के सभी संस्थानों में फीडबैक प्रणाली स्थापित करने एवं प्रस्तुत फीडबैक फार्म के प्रारूपों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः—12.23

विश्वविद्यालय में BBA,BCA,B.Sc (IT) and B.Sc (CS) के संचालन पर विचार।

प्रस्ताव— विश्वविद्यालय में वर्तमान में MBA, MCA पी0जी0 पाठयक्रम संचालित है लेकिन इनसे संबंधित यू0जी0 पाठयक्रम जैसे BBA,BCA, आदि संचालित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बी0एस0सी (सूचना प्रौद्योगिकी) तथा बी0एस0सी (कम्प्यूटर साइंस) पाठयक्रम भी तकनीकी पाठयक्रमों से संबंधित है। अतः BBA,BCA,B.Sc (IT) and

B.Sc (CS) पाठयक्रमों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना प्रस्तावि जिससे यू0जी0 एवं पी0जी0 पाठयक्रमों की पाठयचर्या आपस में सामाजस्य साथ–साथ पूर्व से उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का मानकों के अनुसार उ उपयोग किया जा सके। तकनीकी विश्वविद्यालय होने के क्रम में संबं तकनीकी पाठयक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने के लिए वि परिषद के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अनुमोदन अवस्था में संबंधित प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष रखा जायेगा एवं नियमानुर परिनियमावली एवं अधिनियम आदि में संशोधन की आवश्यकता के क्रम आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

विनिश्चय :–12.23 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन के साथ–साथ इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर अपना अग्रिम अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या:–12.24

विश्वविद्यालय द्वारा Online Certificate Programme संचालित करने क प्रस्ताव।

प्रस्ताव:– विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2022–23 से वर्तमान में संचालित सभी पाठ्यक्रमों को नइ राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की भावना के अनुरूप Choice Based Credit प्रणाली के आलोक मे परिमार्जित किया गया है जिसमें वर्तमान औद्योगिक व तकनीकी आवश्यकताओं तथा भविष्य की सम्भावनाओं के दृष्टिगत पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या निर्मित की गई है। इससे नव प्रवेशित छात्रों के पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता संवर्द्धन होगा जो उनके द्वारा पाठ्यक्रम अवधि के उपरान्त परिलक्षित होगा। परन्तु वर्तमान में विश्वविद्यालय के सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के पाठ्यक्रम में गुणवत्ता संवर्द्धन की नितान्त आवश्यकता है ताकि उन्हें तात्कालिक औद्योगिक व तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाया जा सके।

उपरोक्त के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों हेतु नये पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित माइनर की व्यवस्था अनुसार रोजगारपरक विषयों का अध्ययन–अध्यापन ऑनलाइन/ऑफलाइन कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित बृहद Specialization यथा– Data Science, IOT, Machine Learning, Robotics, Automation आदि में चिन्हित पांच (5) विषयों को अध्यापित करा के विश्वविद्यालय स्तर से परीक्षा लेने के उपरान्त प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। इससे विभिन्न कोर इंजीनियरिंग विधाओं व अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को

अपने नियमित अध्यापन कार्यक्रम के साथ विशिष्ट योग्यता धारण (Specialization) करने का प्रमाण विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा लेकर दिया जायेगा जिससे वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों की Computer, Automation, Cyber आदि क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर खुलेंगे।

उक्त हेतु विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन आधार पर विशिष्ट योग्यता प्रमाणीकरण कक्षाओं के संचालन का कार्यक्रम चुनिंदा सम्बद्ध संस्थानों में उनकी क्षमता के अनुसार किया जा सक है। ऐसी कक्षाएं रविवार अथवा अवकाश दिनों में निर्धारित अध्ययन केन्द्रों द्वारा घोषित कार्यक्रम अनु (30–50 घंटे) ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में संचालित की जायेगी। इस हेतु अनुमन्य शुल्क व पाठ्यक्र का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

अंत में विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययनरत केन्द्रों द्वारा अध्यापित छात्रों को प्रमाण पत्र देने हे ऑनलाइन परीक्षा लेकर छात्रों की विशिष्ट योग्यता प्रमाणीकरण किया जायेगा।

उपरोक्तनुसार विश्वविद्यालय में Online Certificate Programme संचालित करने हेतु प्रस्त विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :–12.24 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत Online Certificate Programme के संचालन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या:–12.25</u>

टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0 के संचालन के संबंध में।

प्रस्ताव:– दिनांक 01 सितम्बर 2022 को श्री विजय बहुगुणा, डिप्टी जनरल मैनेजर (इलैक्ट्रिकल, टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 द्वारा कुलपति महोदय को दूरभाष (892317490) **से** अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय और टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के तहत टी0एच0डी0सी0 इंजीनियरिंग संस्थान का संचालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में विश्वविद्यालय और टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 के बीच दिनांक 10–05–2011 को हुए हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के बिन्दु संख्या–2A,B के प्रावधान निम्नवत हैं। एम0ओ0यू0 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

2- Rule and Responsibilities

(a) The institute will be run by the UTU as a constituent College of the University/Institute of UTU and no financial liability shall devolve on THDCIL.

(b) UTU shall run the Institute in self finance mode and shall meet all recurring expenses incurred on staff remuneration, purchase of consumables R&M of facilities etc.

प्रस्तावित है कि सन्दर्भित संस्थान को विश्वविद्यालय व टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 के मध्य हुए एम0ओ0यू0 के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालित करने पर विचार कर इसे Institute of UTU (इस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय) के रूप में पूनर्गठित करने की कार्यवाही पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक–13

विनिश्चय :–12.25 विद्या परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा एम0ओ0यू0 के अनुसार संस्थान को Institute of UTU (इस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय) अर्थात विश्वविद्यालय के कैम्पस कालेज के रूप में संचालित किये जाने पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

इति, बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(आर0पी0 गुप्ता)
कुलसचिव

(डा0 ओंकार सिंह)
कुलपति

संलग्नक – 03

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून
VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,
पता–चकराता रोड़ सुद्धौवाला, पो0 ओ0 चन्दनवाड़ी ,देहरादून, दूरभाष– 0135–2774067,
वेबसाईट www.uktech.ac.in

पत्रांकः 1996/स्थापना/यू0टी0यू0/2021 दिनांक 24/03/2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 पारित किया गया है, जिसमें विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या –399/XXXVI (3) / 202063 (1) 2020, दिनांक 28–10–2020 के द्वारा अधिनियम में संशोधन, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ–जहाँ वे आते है "वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" शब्द रखे जाएंगे। तथा इसी का अग्रेंजी वर्जन Amendment in the Act 2. In the Uttarakhand Technical University Act 2005 (herein after referred to as principal Act) for the words "Uttarakhand Technical University wherever they occur the wourds " Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical Univery" shall be substituted. अतः उक्त के क्रम में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय से संबंधित अभिलेखों एवं विश्वविद्यालय से संबंधित सभी पत्राचारों में उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आर0पी0 गुप्ता)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2–उप सचिव,तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3–उप सचिव, मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, राजभवन देहरादून।
4–सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बाहदुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।
5–सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नेशनल मंडेला मार्ग बंसत कुंज नई दिल्ली।
6–सचिव, भारतीय भेषजी परिषद् ओखला फेज–1 ओखला औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली।
7–सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद राउज ऐवन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
8–सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ 16 कामरेड इंद्रजीत मार्ग,नैशलन बल भवन नई दिल्ली।
9–निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय श्रीनगर गढ़वाल।
10–समस्त निदेशक, संघटक संस्थान उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून।
11–समस्त सम्बद्ध संस्थान, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून।
12–वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून।
13–परीक्षा नियंत्रक उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून।
14–विश्वविद्यालय के समस्त अनुभाग।

(आर0पी0 गुप्ता)
कुलसचिव

89

VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून

2005

॥ विद्या सर्वोपरि धनम् ॥

९०

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)
Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University
(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

Ref.No.................   Date.................

संलग्नक — 04

Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (MOU) is entered between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Dehradun, Uttarakhand - 248007 herein after called UTU.

And

Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, Uttarakhand 249151 herein after called NIM.

Recital and Scope:

Sharing a common desire to extend and strengthen the functional relationship between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Dehradun and Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi we undersigned, mutually agree to share available expertise at our respective institutions, viz. by signing a MOU and wish to initiate collaboration in different disciplines.

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Dehradun (formerly Uttarakhand Technical University) was established on 27th January 2005 by State Govt. of Uttarakhand through the Uttarakhand Technical University Act no 415 of 2005. The UTU campus is situated at NH-72 Suddhowala, Prem Nagar, Dehradun. Dehradun is the State capital of Uttarakhand well connected through Rail, Road and Air transport. The University has been established in an area of 8.372 hectare and it is the only affiliating University of the state for technical institutions. Presently, the University imparts undergraduate, post graduate, and doctoral programmes in various disciplines like Architecture, Engineering, Management, Hotel Management, Computer Application, Law, and Pharmacy. The University is also serving the technical education through its part time Ph.D programme especially designed for the teachers, professionals, and scientists by giving them opportunity to explore the untouched area of the research. The University runs M.Tech., M.Pharm., M.B.A. full time programmes and M.B.A. part time programme in its own campus in various disciplines. The University is spreading technical and professional education in the remote underprivileged area of Uttarakhand hills.

The purpose of this MOU is to foster collaboration, on the development of mountaineering and geographical information system in India and to facilitate advancement of knowledge on basis of reciprocity, best effort, mutual benefit and frequent interaction, UTU and NIM agree to explore the possibility of engaging in following modes of collaboration.

a) To establish a close linkage and functional coordination between UTU and NIM for mutual cooperation towards the development of mountaineering and geographical information system in India

b) Exchange of information on research, teaching, learning materials and other literature relevant to their education and research programmes on mountaineering and geographical information system in India.

c) Joint organization of the symposiums, seminars, conferences, workshops and short-term continuing education programs on topics of mutual interest.

d) Joint proposal and engagement in research or training programs, while extending invitations to each other's faculty to participate therein on mountaineering, outdoor activities, filed expeditions, high altitude research on environment, ecology, weather and geographical information system in India.

e) Host faculty for limited periods of time for the purposes of continued collaboration and during education and mountaineering, outdoor activities, filed expeditions, high altitude research on environment, ecology, weather and geographical information system in India.

UTU and NIM agree that the following technical description will guide each proposed activity identified and agreed upon by the three institutions.

Terms of any financial arrangements will be subject to separate agreements made on a case by case basis; such as further agreements will include name of those persons responsible for managing the implementation etc of collaborative activity.

Both parties of this MOU agree to act in good faith and in a spirit of mutual understanding and accommodation to facilitate the achievement of goals set under this MOU.

A. Research Collaboration:

UTU and NIM will encourage collaboration in extramural research projects. UTU and NIM will provide facilities to faculty members of NIM and UTU for educational purposes. Technical education activities and grant sharing between UTU and NIM shall be mutually agreed upon while submitting such proposal to funding agencies/ fund.

a. Outcome of joint education programs and research in terms of research papers, technical specifications products, etc will be jointly shared by individuals of both organizations.

B. Academic activities;

UTU and NIM agree to seek means of identifying and inviting faculty members from each other's institutions to participate in conferences workshops, short courses and mountaineering, outdoor activities, filed expeditions, high altitude research on environment, ecology, weather and geographical information system in India. Conditions for such participation would be worked out by

mutual agreement between invited faculty member(s) and the institution extending such an invitation.

C. Exchange of thoughts and technical material and data

UTU and NIM will examine ways of exchanging information on research and education programs and teaching / learning material and other literature relevant to their education and research programmes and mountaineering, outdoor activities, filed expeditions, high altitude research on environment, ecology, weather and geographical information system in India. Both the institutions agree to explore ways to share teaching/learning material and other relevant literature, subject to each institution's policy on intellectual property and publication under intellectual property rights exists in India.

No party to this memorandum shall use name, logo or any other designation of any of other parties without prior written consent.

D. Co-ordination

Following arrangement is suggested for co-ordination of collaboration:

Each of the institution UTU and NIM shall appoint one member of its teaching/research faculty to coordinate the programme on its behalf. A coordination committee, consisting of

(a) Vice Chancellor of UTU or his nominee.
(b) Principal of NIM or his nominee,
(c) Programme Coordinator from UTU nominated by Vice Chancellor of UTU.
(d) Programme Coordinator from NIM nominated by Principal of NIM

This coordination committee will periodically review and identify ways to strengthen cooperation between the two institutions.

E. Tenure, Amendment and Termination

This MOU will take effect from date it is signed by representatives of two institutions. It will remain valid for a period of one year. This MOU will be reviewed after one year.

Terms of this MOU may be amended by mutual written agreement prior to date of review. Any extension to this MOU will be formally agreed in writing by Parties.

Either Institution may terminate MOU by giving written notice to other institution three months' in advance.

Once terminated, neither UTU nor NIM will be responsible for any losses, financial or otherwise, which other Institutions may suffer. However, UTU and

NIM will ensure that all activities in progress are allowed to complete successfully.

F. Indemnity

Each Party shall defend indemnify and hold harmless the other Party, including each of their respective officers, instructors, representatives, agents, successors and assigns from and against all claims of third parties, and all associated losses, to the extent arising out of (a) a Party's gross negligence or wilful misconduct in performing any of its obligations under this Agreement, or (b) a material breach by a Party of any of its representations, warranties, covenants or agreements under this MOU.

G. Arbitration Clause

Should there be a dispute relating to any aspect of academic and research collaboration, Vice Chancellor of UTU, and Principal NIM will jointly resolve dispute in a spirit of independence, mutual respect and shared responsibility.

H. Jurisdiction

Courts in Uttarkashi, Uttarakhand shall have exclusive jurisdiction

This MOU is executed in three copies, each to be retained by respective parties to form one and single document.

IN WITNESS WHEREOF, authorized representatives of parties signed this MOU as of day and year mentioned herein:

Signatures of Witnesses with names and affiliation

1.

2.

For Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Dehradun

Name:
Designation:
Date:
Signature & Seal:

For Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi

Name:
Designation:
Date:
Signature & Seal:

Proposed

PG Diploma in Mountaineering and Adventure Technology

(One year PG Diploma)

Introduction:

Over the last few decades, there is growing interest in adventurism worldwide. Lot of adventures are undertaken on the earth such as in mountaineering, under the water such as diving in deep sea, and in the sky like space missions around the world. Some do it for the sake of amusement while a large section does it for discoveries and research in unexplored areas. In the present time, all of these initiatives are using engineering and technology extensively. With the technological advancements the adventurism is becoming easier, nevertheless it requires thorough understanding of the physiological requirements, weather conditions and weather forecasts, geographical conditions, flora and fauna, usage of equipment and gadgets, communication systems, etc. depending upon the specific adventure mission.

Considering the over the earth explorations, the mountains happen to be one of the key exploratory regions. In specific context to India, there are around 50 summits with at least 500 meters of topographic prominence. Out of these 18 are present in Uttarakhand state. Also, the Uttarakhand is blessed to have the highest of all i.e. Nanda Devi in Garhwal Himalayas with 25643 ft height followed by the Garhwal Himalayas having Kamet summit with height of 25446 ft, Mana Peak of 23858 ft, Mukut Parbat of 23760 ft, Hardeoi of 23494 ft. in Kumaon Himalaya and 13 more like this. Therefore, the mountaineering becomes indispensable for exploring the rich Himalaya ranges and other mountain ranges in India and abroad.

Therefore, the mountaineering and adventure technology are two integrated areas needing technological solutions for easing out the climbing and making it safe and reliable.

Objective:

One year PG Diploma in Mountaineering and Adventure Technology aims at training the engineers, technologists, and other science graduates to pursue career in mountaineering and adventurism to be part of different exploratory and rescue missions across.

Duration:

One year comprising of two semesters out of which class room teaching will be held in campus of Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, Dehradun and field training will be held at Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi.

संलग्नक -05

श्री रोहित

संख्या– 802 / जी0एस0(शिक्षा) / A4-129-2 / 2020

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 30 मई, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2178 व 2179, दिनांक 21–01–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
जागरण स्कूल ऑफ लॉ, शंकरपुर, हुकुमतपुर, पो0–रामपुर, त0–विकासनगर, चकराता रोड, देहरादून	1. एल0एल0बी0 2. बी0ए0एल0एल0बी0 3. बी0बी0ए0एल0एल0बी0 4. एल0एल0एम0	120 120 120 30	2021–22

• शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। इसका संज्ञान रखने के साथ–साथ विश्वविद्यालय, यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें।

3. अतः अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाई सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या– (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A4-129-2 / 2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0 के0 पोखरियाल)
उप सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या– 841 / जी0एस0(शिक्षा) / A4-168 / 2015

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 31 मई, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1365, दिनांक 15.07.2019, पत्र संख्या–1418, दिनांक 18.01.2021 तथा पत्र संख्या–2186, दिनांक 22.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र 2019–20 एवं सत्र 2020–21	सीट संख्या सत्र 2021–22
1	2	3	4
चमनलाल लॉ कॉलेज, मंगलौर रोड, लण्ढौरा, रूड़की, हरिद्वार	एल0एल0बी0	120	120
	बी0ए0एल0एल0बी0	120	120
	एल0एल0एम0	40	30

- शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। इसका संज्ञान रखने के साथ–साथ विश्वविद्यालय, यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे।

3. अतः अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

Registrar sir
मा० कुलपति महोदय
आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।

संख्या– (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A4-168 / 2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0 के0 पोखरियाल)
उप सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

102

श्री गोयल

1076

संख्या– 813 /जी0एस0(शिक्षा)/A4-7-3(P-II)/2022

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 30 मई, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1314 व 1315, दिनांक 06.10.2021 तथा पत्र संख्या–2538 व 2519, दिनांक 28.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2. यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
बीहाईव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, सेन्ट्रल होप टाऊन सेलाकुई, चकराता रोड़, देहरादून	बी0टैक0:– 1. Civil Engg. 2. Computer Science & Engg. 3. Electrical & Electronics Engg. 4. Information Technology. 5. Mechanical Engg.	 39 51 39 30 39	2020–21 तथा 2021–22

- शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। इसका संज्ञान रखते हुए ही वि0वि0 द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जाये।
- विश्वविद्यालय, यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे।

3. अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

Registrar Sir
मा० कुलपति महोदय आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या– (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-7-3(P-II)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

139/VC office/07/22
07/6/22

103

संख्या– 843/जी0एस0(शिक्षा)/A4-59(P-II)/2019

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 31 मई, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2051 व 2057, दिनांक 07.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2. यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सिंहनीवाला, पो0–शेरपुर, शिमला रोड़, देहरादून	बी0टैक0:– 1. Civil Engg. 2. Computer Science & Engg. 3. Electronics & Comm. Engg. 4. Mechanical Engg.	 60 120 60 60	2021–22

- शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। इसका संज्ञान रखने के साथ–साथ विश्वविद्यालय, यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे।

3. अतः अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाई सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या– — (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-59(P-II)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0 के0 पोखरियाल)
उप सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

कुलसचिव महोदय
मा0 कुलपति महोदय
के आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
SPA to VC 07/06/22
140/VC office/UTU/22 07/06/22
104

प्रेषक, संख्या– / जी0एस0(शिक्षा) / A4-160/2014

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक – 16 JUN 2022 मई, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1031 व 1032, दिनांक 07.09.2021 तथा पत्र संख्या–2747 व 2748, दिनांक 30.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2. यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने सम्बन्धी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी0मा0सि0भ0 उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज भगवानपुर, रुड़की (हरिद्वार)	1. एल0एल0बी0 2. बी0ए0–एल0एल0बी0 3. एल0एल0एम0	180 180 75	2020–21 एवं 2021–22

शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। इसके साथ–साथ विश्वविद्यालय, यू0जी0सी0, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें।

3. अतः अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

भवदीय

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या–919 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A4-160/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. [illegible] कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।